



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 22, 1944 शक समवत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—१

संख्या 685 / ७९-वि-१—२०२२-१-क-१६-२०२२

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग—८ प्रशासनिक रूप से सम्बद्धित है, पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा अनुरक्षण और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 कहा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होगा।

(३) यह किसी भी क्षेत्र में ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2- जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे किसी अधिकारी से है, जो इस अधिनियम की धारा 45 में यथा परिभाषित अग्रिशमन अधिकारी से कम से कम 02 ईक उच्चतर हो;

(ख) 'भवन' तात्पर्य वही होगा जो उसके लिए सुसंगत नगरपालिका विधि अथवा उस क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में समनुदेशित हो, और इसमें भूमि या भवन या किसी प्राधिकृत या अन्यथा रूप में भूमि या भवन के आंशिक भाग से समाविष्ट स्थान या परिसर, ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग से सम्बन्धित वाह्य गृह, यदि कोई हो, और पेट्रोल, डीजल या गैस लाडने, प्रतिष्ठान या पम्प सम्मिलित हैं;

(ग) 'भवन उपविधियों' का तात्पर्य किसी सुसंगत नगर पालिका विधि के अधीन बनायी गयी भवन उपविधियों, नियमों तथा विनियमों से हैं और इनमें विकास नियंत्रण नियम या विनियम, उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाये, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाये गये कोई अन्य भवन नियम या विनियम सम्मिलित हैं और वे ऐसे क्षेत्र में हों, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो;

(घ) 'भारतीय मानक व्यूरो' का तात्पर्य भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (अधिनियम मांड्या 11 सन् 2016) के अधीन स्थापित भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय से है;

(ङ) 'उपविधि' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अधीन बनाए गये अग्रिशमन सुरक्षा विनियमों या प्रतिमानों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों, वास्तविक प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित भवन उपविधियों, तेल-उद्गोग सुरक्षा निदेशालय के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, पेट्रोलियम अधिनियम तथा नियमों, अग्रिशमन से सम्बन्धित भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियमों अथवा समय-समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित किन्हीं सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धान्तों से हैं;

(च) 'निदेशक' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा से है;

(छ) 'महानिदेशक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक अग्रिशमन तथा आपात सेवा से है;

(ज) 'आपदा' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित आपदा प्रवन्धन अधिनियम 2005, (अधिनियम मांड्या 53 सन् 2005) में यथा परिभाषित आपदा से है;

(झ) 'आपात' का तात्पर्य आपदा सहित किसी ऐसी गम्भीर स्थिति या घटना से है, जो अप्रत्याशित रूप में घटित होती है, जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अग्रिशमन तथा आपात सेवा की तत्काल कार्यवाही की मांग होती है;

(ञ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अग्रिशमन तथा आपात सेवा हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) 'वास्तविक प्राधिकरण' में स्थानीय प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर नियम, आवास विकास परिवद या भवन योजना अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण सम्मिलित हैं;

(ठ) 'परिनिर्माणकर्ता' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से है, जो नियमित हो, या अन्यथा रूप में हो, जो नियमित या अस्थायी आधार पर लोगों के व्यवसाय हेतु कोई पण्डाल या कोई संरचना परिनिर्मित करता है, या बनाता है;

(ड) 'अग्रि रोकथाम और जीवन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों' का तात्पर्य इस निर्मित बनायी गयी नियमावली में विहित अग्नि सुरक्षा तंत्र सहित ऐसे उपायों से है, जो अग्नि की परिशुद्धता, नियन्त्रण तथा शमन के लिए और अग्नि की स्थिति में जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार आवश्यक हों;

(द) 'अग्नि सुरक्षा अधिकारी' का तात्पर्य कठिपय परिसरों और भवनों में प्रतिश्वापित अग्नि रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट ऐसे परिसरों और भवनों के स्वामी या अध्यासी द्वारा इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है;

(ण) 'अग्निशमन अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय रोपण स्थलों हेतु राज्य द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(त) 'अग्निशमन केन्द्र' का तात्पर्य अग्निशमन सम्बन्धी उपस्करणों, उपकरणों और कर्मचारिवृंद को आवासित करने हेतु परिनिर्मित ऐसे किसी भवन से है, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अग्निशमन केन्द्र या अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों के रूप में सामान्यतः या विशिष्टतः घोषित हो;

(थ) 'निधि' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन गठित निधि से है;

(द) 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य किसी नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर महापालिका, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, द्वावनी परिषद, क्षेत्र समिति, ग्राम सभा या स्थानीय स्वशासन के प्रयोजनार्थ गठित किसी अन्य प्राधिकरण या नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रवंधन सहित राज्य सरकार के प्रति विधिक रूप से हकदार या उसके द्वारा न्यास कृत ग्राम प्रशासन से है;

(ध) 'स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा से है;

(न) 'राष्ट्रीय भवन संहिता' का तात्पर्य भवनों, स्थानों, परिसरों, कार्यशालाओं, भण्डारणारों तथा उद्योगों में क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से युक्त भारतीय मानक व्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पुस्तक या पुस्तकों से है;

(प) 'अध्यासन' का तात्पर्य ऐसे प्रमुख अध्यासन से है, जिसके लिए कोई भवन या भवन का कोई आंशिक भाग प्रयुक्त किया जाता है या उसका प्रयुक्त किया जाना आशयित है जिसमें ऐसे सहायक अध्यासन सम्मिलित हैं, जो उस पर समाप्ति हैं;

(फ) 'अध्यासी' का तात्पर्य:-

(एक) ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो तत्समय ऐसी भूमि या भवन, जिसके सम्बन्ध में किराये का संदाय किया जाता हो /या संदेय हो, के किराये या उसके आंशिक भाग का संदाय भवन स्वामी को कर रहा हो या संदाय करने का दायी हो;

(दो) अपनी भूमि या भवन में अध्यासित या उसका अन्य रूप में उपयोग करने वाले किसी स्वामी से है;

(तीन) किसी भूमि या भवन के निःशुल्क किरायेदार से है;

(चार) किसी भूमि या भवन के अध्यासित लाइसेंसधारी से है; और

(पांच) ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन हेतु भवन स्वामी को अक्षतियों का संदाय करने के लिए दायी हो।

(ब) 'स्वामी' में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो तत्समय किसी अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या प्रापक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया अपने खाता में या अपने तथा अन्य के खाता में प्राप्त करने का हकदार हो अथवा जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए यदि भूमि या भवन या उसका आंशिक भाग, किरायेदार को किराया पर दिया गया हो;

(भ) 'पण्डाल' का तात्पर्य ऐसे छत या दीवारों वाले अस्थायी संरचना से है, जो पुआल, फूस, उलू, तृण, गोलपट्टा, होगला, डर्मा, मैट, कैनवास, बब्ल या ऐसी अन्य समान प्रकार की सामग्री से निर्मित हो, जो स्थायी या निरन्तर अध्यासन के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है;

(म) 'द्वितीय अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है, जो इस अधिनियम की धारा 45 में यथा परिभाषित अपील प्राधिकारी से कम से कम एक रैक उच्चतर हो;

(य) 'स्थानीय अग्निशमन सलाहकार परिषद' का तात्पर्य अग्निशमन सेवा से सम्बन्धित प्राविधिक समस्याओं का परीक्षण करने और भारतीय मानक संस्थाओं के माध्यम से अग्निशमन उपकरणों का मानकीकरण सहित मामलों में भारत सरकार को संस्तुति करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित सलाहकार निकाय से है;

(र) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ल) 'अर्ह अभिकर्ता' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन के क्षेत्र में प्राविधिक विशेषज्ञता हो और जिसके पास अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त विषयगत ज्ञान और उपलब्धियाँ हों।

## अध्याय—दो

### अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा की स्थापना

3-(1) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा होगी और अग्निशमन तथा आपात सेवा के समस्त अधिकारी और अधीनस्थ रैंक के कार्मिक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की किसी शाखा में तैनात किये जाने योग्य होंगे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अग्निशमन दल या किसी अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को यह घोषित कर सकती है कि उक्त दल या सेवा किसी भी समय राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग होगा अथवा नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यह उपवंश, किसी विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग के स्वामी या अध्यासी द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग हेतु अग्नि सुरक्षा आच्छादन का उपवंश करने के लिए अनुरक्षित निजी अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के निमित्त लागू नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम अथवा स्थानीय प्राधिकरण के संवंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी अग्निशमन दल या अग्नि रोकथाम से सम्बन्धित सेवा को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांकों से राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग घोषित कर सकती है।

(3) अग्नि के फलस्वरूप हुई आपदा से भिन्न किसी आपदा में सहायता करने के उद्देश्य से समस्त अग्नि शमन सेवाएं आपात सेवाएं मानी जायेंगी:

परन्तु यह कि यदि जहाँ आपात सेवा केवल अग्निशमन से संबंधित न हो वहाँ आपात सेवा के प्रभारी प्राधिकारी के विनिश्चय और निदेश अभिभावी होंगे।

4-सम्पूर्ण राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण और उस पर नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा, ऐसे अग्निशमन अधिकारियों जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर नियुक्त करे, के माध्यम से इस अधिनियम और/या तद्दीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपर्योग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासित की जायेगी।

5-(1) इस अधिनियम के उपर्योग के अध्यक्षीन राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभिन्न रैंकों के उतनी संख्या में कर्मचारिवृद्ध होंगे और उसमें ऐसे संगठन होंगे तथा उसकी ऐसी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगे, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार नियमावली में निप्रलिखित को विहित कर सकती है:-

(एक) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के भिन्न-भिन्न पद;

(दो) कर्मचारिवृद्ध की भर्ती की रीति, पद का ग्रेड, अहंता, वेतन, भत्ते और उक्त सेवा में विनियोजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृद्ध की अन्य सेवा शर्तें।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य में विद्यमान अग्निशमन तथा आपात सेवा की पद्धति की समीक्षा कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो उसे उपान्तरित कर सकती है:

परन्तु यह कि स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु इस उपधारा के अधीन निमित्त नियमावली में कर्मचारिवृद्ध की भर्ती की रीति, वेतन, भत्ते तथा तत्सम्बन्धी मामले सम्मिलित नहीं होंगे।

(4) इस अधिनियम द्वारा या तद्दीन अन्यथा उपर्युक्त के सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व के दिनांक को किसी प्राधिकरण के विद्यमान अग्निशमन दल या अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के अग्निशमन अधिकारी या कर्मचारिवृद्ध या कर्मचारी (जिस भी पदनाम से पुकारा जाय) के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उहीं निवन्धन और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा जैसा कि उसके लिए ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे और वह पूर्व की भांति तथा इस अधिनियम द्वारा या तद्दीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

(6-1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक ईक के अधिकारी को महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के रूप में नियुक्त करेगी, जिसे आगे महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा जायेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट हैं और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगी ।

(2) राज्य सरकार अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में वास्तविक अहंता ज्ञान, अनुभव तथा विश्वसनीय उपलब्धियों से युक्त अग्निशमन अधिकारी को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्वीन विनिर्दिष्ट हों ।

(3) राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्वीन वनायी गयी नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की सहायता हेतु ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृद्ध की नियुक्ति करेगी, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो ।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रण, निदेशों तथा अधीक्षण के अध्यधीन महानिदेशक तथा निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम या तद्वीन वनायी गयी नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाय तथा उस पर अधिरोपित किया जाय ।

(7-1) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन अग्निसुरक्षा तथा उसकी रोकथाम, अग्निशमन उपस्करण, मशीनरी तथा उपकरणों, प्रशिक्षण, व्यक्ति पर्यवेक्षण, पारस्परिक सम्बन्धों की घटनाओं, कर्तव्य आवंटन, विधि अध्ययन, आदेशों तथा कार्यवाहियों की नीतियों से संबंधित समस्त मामलों और सुसंगत राज्य नियमावली के अनुसार अपने अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा किये जाने तथा उनके मध्य अनुशासन वनाये रखने के कार्यकारी विवरण के समस्त मामलों के लिये निदेश देगा और उनका विनियमन करेगा ।

(2) धारा 6 की उपधारा (4) के उपवंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, -

महानिदेशक और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की नियुक्ति

(एक) कार्यालय महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ;

(दो) अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास हेतु राज्य सरकार से सम्बद्ध स्थापित करेगा;

(तीन) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास के सम्बन्ध में नीतियां निर्मित करेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने पर उन्हें क्रियान्वित करने हेतु कदम उठायेगा ;

(चार) प्राधिकारियों द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपस्कर, अग्निशमन सम्पत्ति और अग्निशमन मानव शक्ति की समय-समय पर सभीक्षा के सम्बन्ध में योजनाएं और प्रस्ताव तैयार करेगा और उन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(पाँच) प्रचण्ड अग्निकाण्ड, वृहूद ध्वंस और अन्य आपात सेवाओं के मामलों में प्रभावी कदम उठायेगा या उठावाएगा और उपाय करेगा तथा करवायेगा ;

(छह) अग्नि के कारण का अन्वेषण करेगा या अन्वेषण करायेगा और अग्निशमन सम्बन्धी सावधानी के उपायों को क्रियान्वित करने हेतु प्राधिकारियों को परामर्श देगा ;

(सात) अग्निशमन सेवा कर्मी के प्रत्येक स्तर पर विहित कार्यों के अनुसार प्रभावी मानव संसाधन विकास नीतियों को क्रियान्वित करेगा और उक्त प्रयोजनार्थ वह उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सकता है ;

(आठ) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के मानक का अद्यतनकरण करने की दृष्टि से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(नौ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि उसे इस अधिनियम के उपवंधों द्वारा या तद्वीन प्रदत्त, अधिरोपित या आवृटित किया जाय ।

(8-1) कतिपय उद्योगों और वृहूद वाणिज्यिक तथा व्यवसायिक अधिकारियों एवं भवनों में जनसंख्या तथा संभाव्य अग्नि सम्बन्धी खतरों और उपवंधित एवं अनुरक्षित ऐवं, अपेक्षित अग्निशमन केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारिवृद्ध का उपवंध करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार राज्य के भीतर अग्निसुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपायों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उतने अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों का सृजन कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे ।

महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्ति, कर्तव्य तथा कृत्य

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना में अग्निशमन केन्द्रों और उनसे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाएं परिभाषित होंगी और प्रशासनिक तथा सचालनात्मक दक्षता हेतु आवश्यक अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाओं तथा विस्तार को परिनिश्चित किया जायेगा ।

अग्निशमन सेवाओं की स्थापना

अग्रिशमन अधिकारियों की  
नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्य  
तथा कृत्य

9-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार,—  
(क) प्रत्येक अग्रिशमन केन्द्र के लिए निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा प्राधिकृत अग्रिशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के एक अग्रिशमन अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो अग्रिशमन केन्द्र का प्रभागी अधिकारी होगा और निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अग्रिशमन सेवा के आकार के अनुसार अग्रिशमन केन्द्र का प्रभार करेगा;

(ख) उसके पास अग्रिशमन केन्द्र से उसके अधीन सम्बद्ध ऐसे कर्मचारिवृद्ध होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय;

(ग) वह अपने अग्रिशमन केन्द्र के क्षेत्रों के भीतर संचार प्रणाली हार्डड्रेन्ट्स सहित जल मंसाधनों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा और अग्रिशमन तथा आपात सेवा संचालन का प्रभारी होगा;

(घ) अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों, यदि कोई हों, हेतु समान अवस्थाओं का उपवन्ध किया जा सकता है।

अग्रिशमन अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य—

(2) अग्रिशमन अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य नियमानुसार होंगे—

(क) महानिदेशक के नियंत्रण, निदेश तथा अधीक्षण के अध्यधीन अधिनियम की इस धारा की उपधारा 1 (के अधीन नियुक्त अग्रिशमन अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का नियोजन करेगा जैसाकि उसे इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी नियमावली द्वारा प्रदत्त तथा अधिरोपित किये जायें;

(ख) उपधारा 1 (के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अग्रिशमन रोकथाम तथा आपदा के मामले में इस धारा की उपधारा 1 (के अधीन नियुक्त अग्रिशमन अधिकारी या अधिकारीगण अपनी अधिकारिता के निमित्त किसी अग्रिया आपात स्थिति में उस घटना हेतु अन्य अग्रिशमन कार्य तथा आपात सेवा में विनियोजित व्यक्ति उसके अधीन कार्य करेंगे।

10-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार प्रशासनिक प्रयोजनों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थल हेतु समय-समय पर यथा-आवश्यक अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृद्ध की नियुक्ति कर सकती है।

(2) उपधारा 1 (के अधीन नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, अर्हताएं और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि नियमावली में विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अबाध रूप से शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान अग्रिशमन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने हेतु ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

11-(1) अग्रिशमन तथा आपात सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और तदोपरान्त ऐसे व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अधीन अग्रिशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी की शक्तियाँ, कृत्य और विशेषाधिकार होंगे।

(2) उपधारा 1 (में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निष्प्रभावी हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्रिशमन तथा आपात सेवा का कर्मचारी होने से किसी कारणवश प्रविरत हो जायेगा, और ऐसा कर्मचारी होने से उसके प्रविरत होने पर उसे तत्काल उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी को उक्त प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करना होगा।

(3) कोई नियुक्ति प्रमाण-पत्र अकृत हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्रिशमन तथा आपात सेवा से प्रविरत हो जायेगा और उक्त अवधि के दौरान वह अक्रियाशील रहेगा और ऐसा व्यक्ति अग्रिशमन तथा आपात सेवा से निलम्बित कर दिया जायेगा।

(4) अग्रिशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी अपनी सेवा की निवन्धन एवं शर्तों और अन्य समस्त सम्बन्धित मामलों में ऐसी नियमावली से शासित होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू हो।

12- जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अग्रिशमन तथा आपात सेवा में वृद्धि किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसे क्षेत्र हेतु तथा ऐसी निवन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह नियमावली के अनुसार उचित समझे, स्वयं सेवकों का नामांकन करके सहायक सेवा में वृद्धि कर सकती है।

13- किसी अग्रिशमन अधिकारी में निहित शक्तियाँ, कृत्य तथा विशेषाधिकार तब तक निलम्बित रहेंगे जब तक ऐसा अग्रिशमन अधिकारी निलम्बनाधीन रहेगा:

परन्तु यह कि ऐसे निलम्बन के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति उन्हीं प्राधिकारियों के नियंत्रण के अध्यधीन रहेगा, जिसके अधीन वह रहता, यदि वह निलम्बनाधीन न होता।

अन्य अधिकारियों की  
नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्य  
तथा कृत्य

अग्रिशमन तथा आपात  
सेवा के कर्मचारियों हेतु  
प्रमाण-पत्र जारी किया  
जाना

सहायक अग्रिशमन तथा  
आपात सेवा

अग्रिशमन अधिकारी के  
निलम्बन का प्रभाव

## अध्याय-तीन

## अग्निशमन तथा आपातकालीन सहयोग

14- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, नियमावली में विहित मानक संचालनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार समन्वय अग्निशमन तथा आपात से सम्बंधित पुकारों के लिए सहयोग करेगा। किन्हीं अन्य आपातों में सम्बंधित पुकारों को भी आदेश द्वारा तथा नियमावली के अनुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।	पुकारे जाने पर सहयोग
15 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट किसी अग्नि दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान तात्कालिक कर्तव्यों के निमित्त अग्निशमन तथा आपात सेवा संसाधनों, उपस्थरों तथा अग्निशमन कर्मियों को अभियोजित करना होगा।	कार्यिक और उपस्थरों का प्रैमाना
16 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को कर्मचारिवंद के नियोजन, आयोजन तथा अभियोजन का विवरण उपलब्ध कराना होगा और नियमावली के अनुसार नियमित स्थलीय अनुश्रवण सुनिश्चित करना होगा।	संचालनात्मक प्रबंधन
17 - किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में अग्नि और / या वचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई भी सदस्य, जो मौके पर अग्निशमन प्रचालनों का प्रभारी हो,-	अग्नि और/या वचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शक्तियाँ
(क) ऐसे किसी व्यक्ति को हटा सकता है, या उसे हटाने के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अन्य सदस्य को आदेश दे सकता है जो अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति को बचाने हेतु कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता हो या उसमें व्यवधान डालता हो;	
(ख) ऐसे किसी मड़क या मार्ग को बंद कर सकता है जिस पर या जिसके निकट अग्नि बुझाई जा रही हो और/या वचाव कार्य प्रगति पर हो;	
(ग) अग्नि बुझाने और वचाव कार्य संचालित करने के प्रयोजनार्थ तथा अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ यथा सम्भव कम में कम क्षमता पहुँचाते हुए हीज या उपकरण मार्ग बनाने हेतु किसी परिसर या उसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है या उन्हे गिरवा सकता है:	
परन्तु यह कि ऐसे/किसी परिसर के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को हड्ड ध्रुति की सीमा तक युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान नियमावली में यथा विहित रीति से किया जायेगा;	
(घ) क्षेत्र के जलाधूर्ति प्रभारी से मुख्य जल स्रोतों को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि अग्नि लगने वाले स्थान पर विनिर्दिष्ट दवाव के साथ जलाधूर्ति की जा सके और ऐसी अग्नि को बुझाने या फैलने से रोकने तथा वचाव कार्य संचालनों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ किसी झरना, सिस्टर्न, कुआँ या तालाव अथवा सार्वजनिक या निजी उपलब्ध किसी जल स्रोत से जल का उपयोग कर सकता है;	
(इ) अग्नि कार्य संचालनों में संभाव्य रूप में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति-समूह को तितर-वितर करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मानों वह किसी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी हो और मानो ऐसी भीड़ अविधिमान्य भीड़ हो और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के संदर्भ में ऐसे अधिकारी के रूप में उसी प्रतिरक्षा तथा संरक्षण हेतु हकदार होगा;	
(च) अग्नि बुझाने तथा वचाव कार्य संचालनों में लगे अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मियों के लिए जानवृत्त कर व्यवधान डालने तथा वाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और समय, दिनांक तथा गिरफ्तारी का कारण उल्लिखित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी सहित अविलम्ब उसे किसी पुलिस अधिकारी को या निकटतम पुलिस थाना पर सौंप सकता है;	
(छ) किसी क्षेत्र में लगने वाली आग से निपटने के प्रयोजनार्थ यथाविहित निवंधनों पर सुनिश्चित करने हेतु अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ दोनों कर्मियों या उपकरणों को नियोजित तथा अनुरक्षित करने वाले किसी व्यक्ति के साथ कारार कर सकता है;	
(ज) अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति का संरक्षण या दोनों करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।	

## अध्याय-चार

## जल आपूर्ति

आपात के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की शक्ति

जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का कर्तव्य

जल आपूर्ति के लिए करार करने की शक्ति

जल आपूर्ति वाचित होने पर किसी प्रतिकार का न होना

जल का प्रतिकर

रोकथाम संबंधी उपाय

पंडालों में आगि रोकथाम वीर जीवन सुरक्षा उपायों का स्व विनियामक होना

18 - अग्नि दुष्काने के कार्य संचालनों के दौरान और अपेक्षित अवसरों पर ऐसे क्षेत्र में किसी जल स्रोत, जिसे वह आवश्यक समझे, से जल निकालना निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन कार्य संचालनों के अग्निशमन अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा और प्राधिकारी या स्वामी या ऐसे जल स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले अध्यासी को उस प्रयोजनार्थ यथा विहित दरों पर जल आपूर्ति करनी होगी।

19 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्नि की समस्त युक्तियुक्त स्थिति में नियमावली के अनुसार उपयोग हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध होगी, समस्त युक्तियुक्त उपाय करने होंगे।

20 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी नियमावली में विहित तृतीय पक्षकार को मंदाय करने हेतु प्रक्रियाओं तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जलापूर्ति की मांग और जल की आपात आवश्यकता को पूरा करने के लिये किसी अभिकरण के साथ करार कर सकता है।

21 - किसी क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रभारी प्राधिकारी धारा 17 के खण्ड (घ) के अनुपालन में हुए किसी प्रकार की जल आपूर्ति व्यवधान के कारण क्षति हेतु प्रतिकर के लिए कोई दावा करने का दायी नहीं होगा।

22 - अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा अग्नि दुष्काने के कार्य संचालनों में उपयोग किये गये जल हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्रभार ग्रहण नहीं किया जाएगा।

## अध्याय-पाँच

## अग्नि तथा आपात रोकथाम हेतु सामान्य उपाय और जीवन सुरक्षा के उपाय

23-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के प्रयुक्त परिसरों या किसी श्रेणी के परिसरों, जिनसे उसकी राय में अग्नि का खतरा होना सम्भाव्य हो, के स्वामी या अध्यासी से ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकती है।

(2) जहां ऐसी अधिसूचना जारी की गयी हो वहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अग्नि लगने की सम्भावित खतरों वाली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने का निदेश दे और ऐसा करने के लिए स्वामी या अध्यासी के विकल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, स्वामी या अध्यासी को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ऐसी वस्तुओं या सामानों को जब्त कर सकता है, निरुद्ध कर सकता है या हटा सकता है।

(3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की अग्निशमन तथा आपात प्रबंधन योजनाओं, संबन्धित जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए।

24- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी धारा 23 के अधीन विहित अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपाय करने हेतु पंडाल परिनिर्मित किया जाना स्व विनियामक समझा जायेगा।

(2) पंडाल परिनिर्माणकर्ता को पंडाल के प्रमुख स्थान पर विहित प्रपत्र में और अपने हस्ताक्षर से इस आशय की घोषणा प्रदर्शित करनी होगी कि उसने उसमें राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समस्त विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों को ग्रहण किया है।

(3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपधारा 2) के अधीन परिनिर्माणकर्ता द्वारा कृत घोषणा की सत्यता को सत्यापित करने और विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के निदेश के साथ त्रुटियाँ, यदि कोई हों, इंगित करने की दृष्टि से पंडाल में प्रवेश करे और निरीक्षण करे। यदि इस प्रकार दिये गये समय के भीतर निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी उक्त पंडाल को सीलबंद कर देगा।

(4) किसी पंडाल परिनिर्माणकर्ता, जो यह मिथ्या घोषणा करता है कि उसने पंडाल में विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है, को इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

25-(1) जहाँ धारा 23 तथा धारा 24 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो वहाँ निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा के लिये यह विधिमान्य होगा कि वह अतिक्रमणों या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या अग्नि बुझाने में किसी प्रकार के व्यवधान को किसी सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिये निदेश दे और वाली वस्तुओं या अग्नि बुझाने को रोकने के लिये विफल होने पर निदेशक या अग्रिशमन यथास्थिति स्वामी, अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उक्त मामले का न्याय निर्णयन करने का अनुरोध करते हुए उक्त मामले की रिपोर्ट उस उप जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में परिसर या भवन या पंडाल स्थित हो:

परन्तु यह कि जहाँ निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को अग्नि लगने का आसन्न खतरा या अग्नि बुझाने हेतु व्यवधान मानता हो वहाँ वह ऐसे परिसर या भवन के स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को अतिक्रमण या वस्तुओं या सामानों को तत्काल हटाने के लिये निदेश दे सकता है और तदनुसार उक्त मामले की रिपोर्ट उप जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट ऐसी रिति, जैसा कि वह उचित समझे, से तामील की गयी नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या सामानों या अग्नि बुझाने में व्यवधान को हटाये जाने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उप जिला मजिस्ट्रेट विहित नियमावली के अनुसार ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने का आदेश दे सकता है।

(4) उपधारा (3) में कृत आदेश के निष्पादन हेतु प्रभारित व्यक्ति तत्काल उन वस्तुओं तथा सामानों की मूली उसी समय तैयार करेगा जिन्हें वह ऐसे आदेश से जब्त करेगा और जब्ती के समय उक्त वस्तुओं के कब्जाशीन व्यक्ति को इस निमित्त विहित रिति से एक लिखित नोटिस देगा कि उसमें उल्लिखित उक्त वस्तुओं या सामानों का विक्रय कर दिया जायेगा, यदि उन वस्तुओं का दावा उक्त नोटिस में नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन दी गयी नोटिस के अनुसरण में जब्त की गयी वस्तुओं का दावा करने में ऐसे व्यक्ति, जिसके कब्जाशीन उक्त वस्तुएं व सामान कब्जा के समय थे, के विफल होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार सार्वजनिक निलामी द्वारा उन वस्तुओं को विक्रीत कर देगा।

26-(1) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता पृथक्-पृथक् वास्तविक प्राधिकरणों की उपविधियों, किसी अन्य विधि या उपविधि के उपर्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमावली द्वारा वर्गीकृत भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी या अध्यासी, जो वैयक्तिक या संयुक्त रूप से उत्तरदायी हों, को उसमें अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपायों का उपबंध करना होगा:

(एक) उपविधियों में यथा उपबंधित न्यूनतम अग्नि बुझाने और जीवन सुरक्षा प्रतिष्ठापनों का उपबंध करना होगा;

(दो) अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट रिति और विशिष्टताओं के अनुसार सदैव सक्रिय स्थिति में अनुरक्षित रखना होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विर्द्धि किसी बात के होते हुए भी अध्यासन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सर्वकृत कोई प्राधिकारी उक्त प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं करेगा, जब तब उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि स्वामी या अध्यासी ने वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से इस शारा की उपधारा (1) में दिये गए उपबंध का अनुपालन कर लिया है।

(3) लागू विद्यमान भवन उप विधियों और राज्य द्वारा उपविधियों के प्रबर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित भवनों को अग्रिशमन तथा आपात सेवा से "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना होगा,—

(एक) 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले वहुमंजिले भवन;

(दो) गण्डीय भवन संहिता, 2016 में यथा परिभाषित विशेष भवन यथा शैक्षिक, संस्थागत सभागत, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण संबंधी तथा खतरनाक भवन,—

(तीन) 500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल वाले पूर्वोक्त किसी अध्यासन के साथ मिश्रित अध्यासन।

(4) उपधारा (3) के अधीन भवन स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वहुमंजिले या विशिष्ट भवनों में विहित नियमावली के अनुसार अग्नि रोकथाम या उसे बुझाने हेतु अग्नि रोकथाम, अग्रिशमन तथा जीवन सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा तंत्र लगाया जाय;

(5) यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को अग्रिशमन अधिकारी का इस अधिनियम के उपर्योग द्वारा तद्दीन यथा अपेक्षित अपने भवन या उसके आंशिक भाग में अग्रिरोकथाम, अग्रिशमन तथा जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के संबंध में किसी अहं अभिकरण द्वारा जारी विहित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस धारा की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अच्छे मरम्मत युक्त तथा पर्याप्त स्थिति में अग्रिरोकथाम तंत्र के अनुरक्षण के सम्बन्ध में उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अच्छे मरम्मत युक्त तथा पर्याप्त स्थिति में अग्रिशमन अधिकारी को भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई माह में विहित प्रपत्र में अग्रिशमन अधिकारी को भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट अहं अभिकरणों से भिन्न व्यक्ति, अग्रिरोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का कार्य नहीं करेगा अथवा किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में करने हेतु अपेक्षित ऐसे अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों का निष्पादन नहीं करेगा।

अग्नि लगने के सम्भावित खतरा वाले या अग्नि बुझाने में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों का हटाया जाना

अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का स्वामी या अप्यासियों का उत्तरदायित्व

अग्निशुरक्षा प्रमाण-पत्र  
जारी किया जाना

27-(1) अग्निशमन अधिकारी को यथास्थिति स्वामियों या अध्यासियों या आवेदकों द्वारा स्वतन्त्र रूप से या संयुक्त रूप से कृत धारा 26 की अपेक्षाओं के संबंध में अनुपालनों की संवीक्षा करनी होगी और आवश्यक जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् इस शर्त के अध्याधीन आवेदन करने के एक माह के भीतर अग्निशुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करना होगा कि समस्त आवश्यक दस्तावेज, अभिकल्प, मानचित्र तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि स्वामी, अध्यासी या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) यदि यथास्थिति स्वामी या अध्यासी, अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन जारी अग्निशुरक्षा प्रमाण-पत्र, स्वामी या अध्यासी को कारण बताओं की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा।

(3) भवन या परिसर का स्वामी या अध्यासी, जिसका अग्निशुरक्षा प्रमाण-पत्र उसकी ओर से कृत दृष्टि के कारण रद्द कर दिया गया हो, इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किये जाने के आधार पर भवन या परिसर में अध्यासित होने का हकदार नहीं होगा।

(4) कोई व्यक्ति ऐसे किसी भवन या उसके आंशिक भाग में स्थापित किसी अग्नि रोकथाम तथा सुरक्षा उपकरण से छेड़ छाड़ नहीं करेगा, उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, उसे नहीं हटाएगा या उसे क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या उसका नुकसान नहीं करेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने हेतु दुष्प्रेरित नहीं करेगा।

28-(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी आदेश के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट कारबाहा या भवन या परिसर के प्रभावी अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्वामी और अध्यासी या अध्यासीगण को यथास्थिति वैयक्तिक या संयुक्त रूप में,—

- (एक) यथा विहित अहंताओं वाले अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी;
- (दो) अग्निशमन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी।

(2) उपधारा (1)के अधीन इस प्रकार नियुक्त अग्निशुरक्षा अधिकारी को विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी द्वारा हम्ताक्षरित तथा मुहरवंद नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(3) उपधारा (1)के अधीन नियुक्त अग्निशुरक्षा अधिकारी पद की, त्याग-पत्र के आधार पर या अन्यथा रूप में, रिक्ति होने की स्थिति में स्वामी या अध्यासी या अध्यासीगण से यथास्थिति वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से तत्काल अग्निशुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में यथा उल्लिखित अग्निशुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में अग्निशमन अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है जैसाकि वह आवश्यक समझे जिसके अन्तर्भृत कारबाहा वंद करने हेतु धमायुक्त को और अन्य मामले में सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु सुसंगत प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जाना सम्मिलित है।

(5) अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसाकि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय:

परन्तु यह कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्था में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्ति से अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

29 - (1) अग्निशमन अधिकारी, अध्यासी को या यदि कोई अध्यासी न हो तो किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी को तीन घण्टे की नोटिस देने के पश्चात् सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य किसी समय ऐसे स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में प्रवेश अथवा निरीक्षण कर सकता है, जहाँ अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की पर्याप्ति या उल्लंघन को अभिनिश्चित करने हेतु ऐसा निरीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु यह कि अग्निशमन अधिकारी ऐसे किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है, यदि ऐसे स्थान, भवन या उसके आंशिक भाग पर कोई क्रियाशील हो या कोई मनोरंजन चल रहा हो अथवा यदि उसे जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य में ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो।

(2) अग्निशमन अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने हेतु उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वामी या अध्यासी या कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सशक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश के लिए व्यवधान नहीं डालेगा या व्यवधान नहीं डालने देगा अथवा निरीक्षणार्थ इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा।

(4) जब मानव निवास हेतु प्रयुक्त उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में उपधारा (3) के अधीन प्रवेश किया जाय तब अध्यासियों के सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं के लिए सम्यक सम्मान प्रदान किया जायेगा और उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसी महिला, जो सार्वजनिक रूप से प्रकट न होती है, के किसी फ्लैट, अपार्टमेंट या ऐसे भवन के आंशिक भाग में प्रवेश करने से पूर्व उसे नोटिस प्रदान की जायेगी कि वह वहाँ से निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे निकलने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा प्रदान की जायेगी।

(5) जहाँ इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन निरीक्षण, अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जाये, वहाँ उसे सम्बन्धित वास्तविक प्राधिकारी को ऐसे किसी निरीक्षण की रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।

(6) अग्निशमन अधिकारी को इस धारा के अधीन उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात् उक्त भवन की ऊचाई या उक्त स्थान या भवन यां उसके आंशिक भाग में की जाने वाली क्रिया-कलायों की प्रकृति के सन्दर्भ में उनमें उपबन्धित की जाने वाली अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों अथवा ऐसे उपायों की अपर्याप्ति या उनका अनुपालन न किये जाने से सम्बन्धित अपेक्षाओं से विचलन या उनका उल्लंघन किये जाने पर अपना दृष्टिकोण अभिलिखित करना होगा और ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग को स्वामी या अध्यासी को एक नोटिस, उसमें यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत उपायों को ग्रहण करने हेतु उसे निर्देशित करते हुए, जारी करना होगा।

30 - अग्नि लगाने से सम्बन्धित कोई सूचना धारण करने वाले किसी व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम अग्निशमन केन्द्र पर तत्सम्बन्ध में सूचना देनी होगी।

अग्नि लगाने की सूचना

### अध्याय-छः अपराध और शास्तियाँ

31- जो कोई अध्याय-चार के किसी उपवंश का उल्लंघन करेगा वह इस अधिनियम और तद्दीन वनायी गयी नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध की गयी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास, जो छः माह तक हो सकता है, से या ऐसा जुर्माना, जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डनीय होगा और जहाँ अपराध जारी रहेगा वहाँ एक अग्रतर जुर्माना, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम अपराध के पश्चात् प्रतिदिन तीन हजार रुपये तक हो सकता है, के साथ दण्डनीय होगा।

अध्याय-चार (जल आपूर्ति) के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ

32- ऐसी किसी कार्यवाही, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जा सकती है, के होते हुए भी, अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई सदस्य, जो,—

कर्तव्य उल्लंघन के लिए शास्ति

(एक) कर्तव्य के किसी उल्लंघन या इस अधिनियम या तद्दीन वनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपवंश का जानवृत्त कर उल्लंघन करने का दोषी पाया जायेगा; या

(दो) कायरता का दोषी पाया जायेगा; या

(तीन) पन्द्रह दिनों या उससे अधिक के लिए अनुज्ञा या पूर्व सूचना दिए बिना अपने कार्यालय के कर्तव्यों से प्रत्याहृत रहेगा या प्रविरत रहेगा; या

(चार) अवकाश पर अनुपस्थित होने के कारण युक्तियुक्त कारण के दिना उक्त अवकाश की समाप्ति पर स्वयं ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने में विफल रहेगा; या

(पाँच) कोई अन्य नियोजन या पद ग्रहण करेगा या उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956के उपबंधों का उल्लंघन कर कारोबार में स्वयं को अभिनियोजित करेगा;

ऐसे कारावास, जो छः माह तक हो सकता है या जुर्माना, जो तीन माह के बेतन से अनधिक धनराशि तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अग्निमुक्ता अधिकारियों की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में शास्ति

प्रतिकर का संदाय करने के लिए संपत्ति स्वामी का शास्ति

सूचना देने में विफलता

सावधानी बरतने में विफलता

अग्निमुक्ताने तथा बचाव कार्य संचालनों में जानवृत्तकर व्यवधान ढालने के लिए शास्ति

मिथ्या रिपोर्ट

अपराध हेतु दंड के सामान्य उपचार

33-(1) यदि किसी भवन या परिसर का कोई स्वामी या अध्यासी या ऐसे स्वामियों और अध्यासियों का मंध, धारा 28 के अधीन अग्निमुख्या अधिकारियों की इस निमित्त यथास्थिति निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त नोटिस प्राप्त किये जाने के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दोषी माना जायेगा।

(2) जब ऐसे अग्निमुख्या अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषी माना जाए तब निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा अवधारित परिसर स्थित सामान्य क्षेत्रों सहित उसके द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अध्यासन प्राप्त कुल निर्मित क्षेत्र के अन्यून दस रूपये प्रति वर्ग मीटर और अनधिक पचास रूपये प्रति वर्ग मीटर की धनराशि, उसमें प्रत्येक माह की त्रुटि या उसके आंशिक भाग के लिए शास्ति के माध्यम से वसूल की जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जुर्माना स्वरूप धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

34-(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति में, उसकी स्वयं की या उसके अभिकर्ता की जानवृत्तकर या लापरवाही पूर्ण कृत कार्यवाही के कारण अग्नि लग जाती है, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन उसमें उल्लिखित किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण अपनी सम्पत्ति की क्षति के भुक्तभोगी किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन समस्त दावे, क्षति होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, प्रधकार को मुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करेगा और ऐसी धनराशि तथा तद निमित्त उत्तरदायी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा, और इस प्रकार पारित आदेश में धारा 45 में यथा उल्लिखित तीस दिनों के भीतर किसी सिविल न्यायालय की डिग्री का प्रवर्तन निहित होगा।

35-ऐसे किसी व्यक्ति, जो पर्याप्त औचित्य के बिना, अग्नि लगने के संबंध में अपने पास स्थित सूचना संसूचित करने में विफल रहता है, को भारतीय दंड संहिता 1860. (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 176 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध किया हआ माना जाएगा।

36-जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन जारी अग्निसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा या उक्त धारा के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, से ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी रहता है, वहां ऐसे अग्रतर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात्, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, प्रतिदिन एक हजार रूपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

37-ऐसा कोई व्यक्ति, जो अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य, जो अग्नि बुझाने संबंधी कार्य संचालनों में अभी नियोजित हो, के लिए जानवृत्तकर व्यवधान डालता हो या बाधा उत्पन्न करता हो, ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय होगा।

38-ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानवृत्तकर किसी कथन, संदेश या अन्यथा के माध्यम से अग्नि लगने की मिथ्या रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान करता है या प्रदान करवाता है, ऐसे कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये तक हो सकता है से या, दोनों से दंडनीय होगा।

39-जो कोई इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी किसी नियमावली या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपने विश्वदृ कृत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी हो वहां ऐसे अग्रसर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो प्रत्येक दिन एक हजार रूपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

40-(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसा कंपनियों द्वारा अपराध प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबाह के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी रहा हो या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, साथ ही साथ कंपनी भी, अपराध के दोषी माने जाएंगे और प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने तथा तदनुसार दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परंतु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी वात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दंड के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह सावित कर देता है कि उक्त अपराध विना उसकी जानकारी के किया गया था या यह कि उसने ऐसा अपराध किए जाने से रोकने के लिए समस्त सम्यक परिश्रम किया था ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सावित हो जाता है कि उक्त अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिसीभगत में किया गया है या वह उसकी ओर में कृत किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया भाना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी भाना जाएगा और वह प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंडित किए जाने का दायी होगा ।

**स्पष्टीकरण:** -इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(एक) 'कंपनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्ति संगम मिलित है; और  
(दो) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है ।

41- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् कृत किसी अपराध, जो इस अधिनियम की धारा 36, 37, 38, 39, या तद्दीन बनायी गई किसी नियमावली के अधीन दंडनीय हो, का प्रशमन, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अग्रिशमन तथा आपात सेवा के अधिकारियों द्वारा ऐसी धनराशि के स्थान पर जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकता है :

परंतु यह कि ऐसा कोई अपराध प्रशमनीय नहीं होगा, जो राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से जारी नोटिस, आदेश या अध्ययेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण किया गया हो और जब तक उसका अनुपालन न किया गया हो, जहां तक अनुपालन संभव हो ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया हो वहां यदि अपराधी अभियोजन में हो तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अग्रतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी ।

42-इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गई किसी नियमावली के अनुसरण में सद्व्यवनापूर्वक कृत या किए जाने हेतु आशयित किसी वात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

43- कोई न्यायालय, निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत या उससे प्राप्त सूचना के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की कार्यवाही नहीं करेगा ।

44-न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करेगा ।

## अध्याय-सात

### अपीलें

45-(1) इस अधिनियम के अधीन जारी या कृत उप जिला मजिस्ट्रेट या अग्रिशमन अधिकारी या निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा या महानिदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा के किसी नोटिस या आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपीलीय अधिकारी को नोटिस या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी नोटिस या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :

परंतु यह कि अपीलीय अधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी को अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी तथा उसके साथ विरोध में की गयी अपील की नोटिस या आदेश की प्रति और इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट फ़ीस संलग्न होंगे ।

(3) किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अतिम भाना जाएगा ।

सद्व्यवपूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण  
अभियोजन का संजाल

अविकारिता

अपीलें

## अध्याय—आठ

### प्रशिक्षण

अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

46- (1) राज्य मरकार राज्य में अग्नि रोकथाम तथा शमन संवंधी अनुदेश पाठ्यक्रमों का उपवंध करने के लिए एक या उससे अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित और अनुग्रहित कर सकती है और ऐसे किसी केंद्र को बोंद या पुनः स्थापित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन स्थापित की जाने वाली अकादमी में स्थानीय निकायों और औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रणाधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए और साथ ही साथ यथाविहित प्रभारों का संदाय किए जाने पर अन्य राज्यों के राजकीय अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार कर सकती है।

(3) राज्य सरकार अग्नि रोकथाम और उसे बुझाने संबंधी अनुदेश पाठ्यक्रम का उपवंध करने के लिए ऐसी कीस और ऐसी प्रक्रिया विहित कर सकती है, जैसा कि वह उचित न मन्ने।

(4) प्रशिक्षण के संवंध में सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू मामान्य नियमों के अनुपालन के अध्यधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को इस अधिनियम के उपवंधों के प्रवंशन के निमित्त राज्य सरकार के लागत और व्यय पर भारत के भीतर और बाहर किसी संस्थान में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों की वैज्ञानिक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में और अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

47- (1) महानिंदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन तथा अन्य आपात स्थितियों में रोकथाम संबंधी उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा।

(2) अग्निशमन तथा आपात सेवा के नियमों के अनुसार अग्नि रोकथाम से संबंधित मामलों में समुदायों को महायता और परामर्श प्रदान करेगी।

### अध्याय—नौ

#### अग्निशमन कर, फीस और अन्य प्रभारों का उद्घारण

अग्निशमन कर का उद्घारण

48-(1) ऐसी किसी भूमियों तथा भवनों पर अग्निशमन कर उद्गृहीत किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त वाले क्षेत्रों में स्थित हो, जिन पर संपत्ति कर जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए उस क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत किया जाता है।

(2) अग्निशमन कर, संपत्ति-कर पर अधिकार के रूप में ऐसे संपत्ति कर के प्रतिशत के रूप में ऐसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अवधारित करे।

(3) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन लोक प्राधिकरण में निहित या उसके नियंत्रणाधीन या कब्जाधीन किसी भवन पर कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

49-(1) संपत्तिकर संदाय का निर्धारण करने, संग्रहण करने और प्रवर्तन करने के लिए मशक्त प्राधिकारी राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम के अध्यधीन बनाई गयी, किसी नियमावली के अधीन ऐसा कर उद्गृहीत करने हेतु क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को प्राधिकृत करने वाले विधि के अधीन कर संदाय का निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन उमी रीति से करेंगे, जैसा कि संपत्ति कर का निर्धारण, संदाय और संग्रहण किया जाता है और इस प्रयोजनार्थ वह पूर्वोक्त विधि के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और विवरणी, अपील, समीक्षा, संदर्भ और शान्तियों से संबंधित उपवन्धों सहित ऐसी विधि के उपवंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) अग्निशमन कर के कुल आयों के ऐसे भाग, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, की कटौती अग्निशमन कर संग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत अग्निशमन कर के आयों का संदाय, उनमें संग्रहण लागत से कटौती, करके राज्य सरकार को ऐसी रीति से और ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

50-(1) जहाँ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर ऐसी सीमाओं के निकट अग्नि बुझाने के उद्देश्य से भेजे जाएं, वहाँ राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कीस यथाविति संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा मांग की नोटिस तामील किए जाने के एक माह के भीतर संदेय होगी और यदि उक्त अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

51- इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि की वसूली, भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा को अभिनियोजित किए जाने पर फीस

देयों की वसूली

## अध्याय-दस

## अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि

52-(1) "अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि" के रूप में ज्ञात एक निधि का गठन किया निधि का गठन जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी अग्निशमन फीम, कर और शास्तियों (जुमानि से भिन्न) के आगमों को प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक रूप से कृत विनियोजन से तथा तद्दीन संग्रहण और वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात् उपधारा (1)के अधीन गठित निधि में प्रविष्ट कर अन्तरित कर दिया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन निधि में अन्तरित कोई धनराशि राज्य की संचित निधि से वसूल की जाएगी।

(4) निधि की धनराशि का व्यय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जायेगा, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित हो।

(5) निधि को संवंधित प्राधिकरण के आय-व्ययक प्राङ्गलन में दर्शाया जाएगा और तत्सम्बन्धी खातों का अनुरक्षण तथा लेखा-परीक्षण सुसंगत विधि या तद्दीन वनायी गयी नियमावली और आदेशों, जो संवंधित प्राधिकरण के लिए लागू हों, पर खातों को अनुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त निधि का उपयोग नियमावली में यथाविहित सामुदायिक तैयारी, अवसंरचना प्रशिक्षण और अग्निशमन उपकरणों के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा।

## अध्याय-ग्यारह

## प्रकीर्ण

53 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोक हित में पारस्परिक आधार पर करार द्वारा या तद्दीन उपवंशित निवंधनों पर अग्निशमन के प्रयोजनार्थ कार्यिकों या उपस्करणों या दोनों का उपवंश करने के लिए ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा या प्राधिकरण, जो उक्त अग्निशमन तथा आपात सेवा को अनुरक्षित करता हो, के साथ करार कर सकता है।

अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्था

54 - किसी विषय पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यविधि के उपवंशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा घोषित कर सकती है।

अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा के रूप में घोषणा अन्य क्षेत्र में विनियोजन

55 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी, किसी निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त न हो, में अग्नि या अन्य आपात अवसर पर ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र में अग्निशमन सम्बन्धी कार्य संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करणों सहित अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को भेजने का आदेश दे सकता है और तदोपरान्त इस अधिनियम तथा तद्दीन वनायी गयी नियमावली के समस्त उपवंश, समय-समय पर यथाविहित प्रभारों के आधार पर अग्नि सम्बन्धी आपात के दीरान या ऐसी अवधि के दीरान, जैसा कि निदेशक विनिर्दिष्ट करे, ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।

अन्य कर्तव्यों पर

नियोजन

56 - राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये यह विधि सम्पत होगा कि वह किसी वचाव, उद्धारण या अन्य कार्यों, जिस निमित्त वह अपने प्रशिक्षण, उपकरणों तथा उपस्करणों के कारण उपयुक्त हो, में अग्निशमन तथा आपात सेवा को नियोजित करे।

अन्य कर्तव्यों पर नियोजन

57 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों से इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति की प्रकृति, उपलब्ध जलापूर्तियों, उनके प्रति पहुँच के साधनों और किन्तु अन्य सारभूत विवरणों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने हेतु भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकते हैं और ऐसे स्वामी या अध्यासी को सम्पूर्ण सूचना अपने पास रखनी होगी।

सूचना प्राप्त करने की शक्ति

भवनों या परिसरों को  
सीलबंद करने की वस्ति

58-(1) जहाँ धारा 29 के अधीन अग्निशमन अधिकारी में रिपोर्ट ग्राम होने पर, या स्व-प्रेरणा से महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह प्रतीत होता हो कि किसी भवन या परिसर की दशा, जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है वहाँ वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति में, जिसके कावजे या अध्यासन में ऐसा भवन या परिसर हो, ऐसे भवन या परिसर से तत्काल हट जाने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिये क्षेत्रीय अधिकारिता वाले किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को भवन या परिसर से हटाने के लिये निदेश दे सकता है और ऐसे अधिकारी को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1)या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाये जाने के पश्चात् महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, भवन या परिसर को सील बंद कर देगा।

(4) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश के सिवाय कोई व्यक्ति उक्त सील को नहीं हटाएगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाओं द्वारा कृत आदेश के अधीन के सिवाय ऐसी सुहर को हटाता है, ऐसी अवधि के कारणास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो प्रद्वीप हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डनीय होगा।

59 - आग बुझाने सम्बन्धी कार्य संचालनों या अग्नि के जोखिम से अर्न्तप्रस्त किसी सामान को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने से संबंधित किहीं अन्य कर्तव्यों में पुलिस अधिकारी या पुलिसबल एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करने में निदेशक या ऐसे अग्निशमन अधिकारी की सहायता करें।

60 - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना,-

(एक) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन एवं आपात सेवा (जिसे इस धारा में आगे विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा गया है) इस प्रकार प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन तथा आपात सेवा समझी जाएगी और पद धारण करने वाले विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रत्येक सदस्य को पद धारण करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया तथा पद धारण करने वाला समझा जाएगा।

(दो) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अग्निशमन अधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियों, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त माने गये पद धारक की हैसियत से उसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों मानी जायेगी और उन कार्यवाहियों को तदनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

61 - अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य (राजपत्रित अधिकारी से भिन्न) की कर्तव्यरत पृ-रहने के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, राज्य सरकार दाह संस्कार के व्यय स्वरूप सगे नातेदार को समूचित धनराशि या ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे, का भुगतान करेगी।

62 - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यरत अग्निशमन तथा आपात सेवा का प्रत्येक कर्मचारी, भारतीय दंड मंहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45सन् 1880) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

63 - राज्य सरकार महानिदेशक, निदेशक, अग्निशमन अधिकारियों एवं कार्य संचालनात्मक कर्मचारियों और अधीनस्थ कार्य संचालनात्मक कर्मचारिवृद्ध से अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अनुरक्षण तथा कर्तव्य निष्पादन से सम्बंधित किसी विषय पर विवरणी, रिपोर्ट तथा कथनों की मांग कर सकता है और उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायता हेतु पुलिस  
अधिकारी और अन्य  
कार्मिक

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन तथा आपात सेवा को इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन तथा आपात सेवा का समान जाना जाना

अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्य की मृत्यु

अधिकारियों का लोक सेवक होना

विवरणी, रिपोर्ट, कथन आदि की मांग

64-(1) राज्य सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को नियम बनाने की शक्ति क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध हो सकते हैं:-

(क) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन व भत्ते और सेवा की अन्य समस्त शर्तें;

(ख) अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं का गठन;

(ग) नियुक्ति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र और अग्निशमन अधिकारी जिसकी मुहर के अधीन ऐसा नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा;

(घ) अग्निशमन कर के संदाय के निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन की रीति;

(ङ) ऐसी रीति, जिसमें संगृहीत अग्निशमन कर का संदाय राज्य सरकार को किया जाएगा;

(च) अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाओं के लिए राज्य निवंधनों की सीमाओं के बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा के अभिनियोजन पर फीस;

(छ) इस अधिनियम के अधीन अग्नि रोकथाम और अग्नि मुरक्का उपाय, घोषणापत्र, अपील, नोटिस और फीस के न्यूनतम मानक;

(ज) अग्निशमन तथा आपात सेवा अकादमी पर अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुल्क;

(झ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारी और अपराधों के प्रशमन के लिए धनराशि;

(झ) अग्निशमन तथा आपात सेवा को ऐसे उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना जैसा कि वह उचित समझे;

(ट) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यास जलापूर्ति कि यह उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा;

(ठ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों और उनके अग्निशमन उपकरणों को समायोजित करने के लिए अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण करना या उनका उपबंध करना या स्थानों को कियाये पर लेना;

(ड) आग लगने की सूचना दे चुके और आग लगने के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु प्रभावी सेवा प्रदान कर चुके व्यक्तियों को पुरस्कार देना;

(ढ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अनुशासन तथा सदाचरण;

(ण) आग लगने की किसी चेतावनी के अवसर पर आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों के साथ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शीघ्र उपस्थिति सुनिश्चित कराना;

(त) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों को विनियमित और नियंत्रित करना;

(थ) सामान्यतः अग्नि तथा आपात सेवा के अनुरक्षण के लिए योग्यता की स्थिति बनाये रखना;

(द) पंडालों और अस्थाई संरचना की स्थापना को विनियमित करना;

(थ) अग्निशमन अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट-लिखना;

(न) अग्निशमन का विवरण और उसकी गुणवत्ता एवं अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणों सहित बचाव उपस्कर, बब्बर और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अवधारित करना;

(प) नीतिगत प्रशासन से सम्बंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा विधि का संस्थापन, प्रवंधन और विनियमन;

(फ) समस्त ईंक और गेड़ के अग्निशमन अधिकारियों के लिये कर्तव्य समनुदेशित करना और ऐसी रीति विहित करना जिसमें और ऐसी शर्तें विहित करना जिसके अध्यधीन वे अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे;

(ब) सामान्यतः अग्निशमन तथा आपात सेवा दधता पूर्वक करने और उनके कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा को रोकने के प्रयोजन के लिए;

(भ) न्यूनतम अर्हता, वास्तविक ज्ञान और अर्ह अभिकरण का अनुभव, तथा

(म) कोई अन्य मामला जो नियमावली द्वारा अपेक्षित हो या उपवंशित किया जा सकता है।

शक्तियों का  
प्रतिनिधित्व

65- (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, के अध्यधीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

(2) महानिदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा या निदेशक, अग्रिशमन तथा आपात सेवा, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम द्वारा या तद्दीन आदेश में यथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग और उसे अधिरेपित किसी कार्यव्य का निष्पादन भी आदेश में विनिर्दिष्ट अग्रिशमन तथा आपात सेवा के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

66- (1) यू०पी० अग्रिशमन सेवा अधिनियम, 1944, उत्तर प्रदेश अग्रि निवारण और अग्रि सुरक्षा अधिनियम, 2005, उत्तर प्रदेश अग्रिशमन सेवा (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 2016, उत्तर प्रदेश अग्रिशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा नियमावली 2016, और उत्तर प्रदेश अग्रिशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 एतद्वारा निरमित किये जाते हैं:

परंतु यह कि ऐसे निरसन को किसी स्थानीय प्राधिकरण के सामान्य उत्तरदायित्व को निप्रलिखित के लिए सीमित करना, उपांतरित करना या अल्प करना नहीं समझा जायेगा।

(एक) अग्रि दुजाने के प्रयोजनार्थ ऐसी जलापूर्ति तथा अग्रि हाइड्रेंट्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए, का उपबंध करना और उन्हें अनुरक्षित रखना;

(दो) खतरनाक व्यापारों का विनियमन करने हेतु उपविधियां बनाना;

(तीन) अपने किसी कर्मचारी को अग्रि दुजाने में सहायता करने हेतु आदेश देना, जब अग्रिशमन सेवा के किसी सदस्य से ऐसा करने के लिए युक्त युक्त पूर्वक अपेक्षा की जाए; और

(चार) सामान्यतः ऐसे उपाय करना, जिनसे अग्रि लगने की संभावना कम हो या अग्रि के फैलाव को रोका जा सके।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों, अध्यादेश एवं नियमावली के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यावही इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

67-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर संकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने हेतु उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश को उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

68-(1) जहाँ तक अग्रि रोकथाम और जीवन सुरक्षा से संबंधित उपबंधों का संबंध है वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी जब इस अधिनियम के अधीन अग्रि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से संबंधित कोई वात की जानी या अनुमोदित की जानी अपेक्षित हो तब ऐसी कोई वात, केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य रूप से कृत या अनुमोदित की गयी नहीं समझी जाएगी कि तदनिमित्त ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा, स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी तथ्य से असंबद्ध किसी वात के होते हुए भी इस अधिनियम और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के उपबंध प्रभावी होंगे।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रवर्तन वाले किसी थेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के उपबंधों के अल्पीकरण में ऊपर यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित वात के अतिरिक्त और उसके सिवाय नहीं होंगे।

कठिनाईयाँ दूर करने की  
शक्ति

अधिनियम का  
अन्य विधियों पर  
अध्यारोही प्रभाव  
होना

69 - जहां महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी, जो अग्निशमन या किसी आपात कार्य संचालन का प्रभारी हो, किसी अन्य प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति के अग्निशमन उपस्कर तथा उपकरण या संपत्ति की अपेक्षा करे, वहां वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में अग्नि बुझाने या किन्हीं अन्य आपात स्थितियों के प्रयोजनार्थ ऐसे उपस्कर या संपत्ति को अधियाचित कर सकता है और यथास्थिति प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति से उसका कब्जा गृहीत कर सकता है।

70 - (1) अंसाधारण वीरता और जीवन तथा संपत्ति को बचाने के कर्तव्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित कर चुके उल्कृष्ट खिलाड़ियों, निशानेबाजों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों को रिक्तियाँ उपलब्ध होने के अध्यधीन अगले उच्चतर रैंक के लिए बिना पारी पदोन्नति कर सकता है;

अधीनस्थ कार्य  
संचालनात्मक  
कर्मचारिवृद्ध की  
विशेष पदोन्नति

(2) ऐसी पदोन्नति या ऐसे रैंकों में स्वीकृत संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(3) ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों को उस वर्ष तैयार की गई पदोन्नति सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में विधिक तथा संरचनात्मक रूप से सुसज्जित अग्निशमन तथा आपात सेवा की आवश्यकता है, जो जीवन सुरक्षा, बचाव कार्य और अन्य आपात स्थितियों यथा बाढ़, भूकम्प, भवन विध्वंस, आणविक तथा जैविक परिसंकरण हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित हो।

पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के निमित्त सम्पूर्ण भारत में अग्निशमन सेवा अधिनियमों में एकरूपता लाये जाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा अंगीकृत किये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा आदर्श अग्निशमन सेवा विधेयक 1958, और संशोधित आदर्श अग्निशमन तथा आपात विधेयक 2019, परिचालित किये गये थे।

भविष्य में बढ़ते औद्योगिक विकास, नगरीकरण, आपदाओं तथा सम्भावित अग्नि दुर्घटनाओं के कारण यू०पी० अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 (यू०पी० अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) और उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005) आगामी तथा भावी अपेक्षाओं को पूरा करने योग्य नहीं थे। इसके साथ ही साथ 'अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र' पूर्वोक्त अधिनियमों का अभिन्न अंग न होने के कारण भवनों तथा परिसरों में अग्नि सुरक्षा तंत्र अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना सम्भव नहीं था।

पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा परिचालित आदर्श अग्निशमन तथा आपात विधेयक 2019, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2022, को उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 685 (2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-16-2022

Dated Lucknow, December 13, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Agnishastra Tatha Aapaa Sewa Adhiniyam, 2022, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 13, 2022. The Grah (Police) Anubhag-8 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

## THE UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES ACT, 2022

(U.P. Act no. 16 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

*to provide for the maintenance of fire and emergency services for the State of Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third year of the Republic of India as follows :—

## CHAPTER I

## PRELIMINARY

Short title,  
extent and  
commencement

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022.
- (2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force in any area on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette appoint, and different dates may be appointed for different areas and for different provisions of this Act.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
  - “Appellate Authority” means an Officer appointed by the State Government, who is at least two ranks higher than the Fire Officer as defined in Section 45 of this Act;
  - “Building” shall have the same meaning assigned to it in the relevant municipal law or any law for the time being in force in the area in which this Act is in force and includes places or premises comprising land or building, or part of a land or building, whether authorized or otherwise, outhouses, if any, pertaining to such building or part thereof and petrol, diesel or gas lines, installations or pumps;
  - “Building bye-Laws” means the building bye-laws, rules and regulations made under any relevant municipal law and includes the development control rules or regulations, by whatever name they are called, or any other building rules or regulations made under any other law for the time being in force and are in the area in which this Act is in force;

(d) "Bureau of Indian Standard (BIS)" means National Standard body of India established under Bureau of Indian Standards Act, 2016 (Act no. 11 of 2016);

(e) "Bye law" means fire safety regulations or norms or guidelines made under National Building Code of India, Building Bye-laws enacted by Entity Authority, Oil Industry Safety Directorate guidelines, Petroleum Act and Rules, Explosive Act and Rules of India relating to fire prevention, or any relevant guidelines by the State Government or local Authority as amended from time to time;

(f) "Director" means the Director of the Fire and Emergency Services appointed by the State Government under section 6 of this Act;

(g) "Director General" means the Director General of the Fire and Emergency Services appointed by the State Government;

(h) "Disaster" means disaster as defined in Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005) as amended from time to time;

(i) "Emergency" means any serious situation or occurrence, including disasters, that happens unexpectedly and demands immediate action of Fire and Emergency Service of the State Government or Local Authority;

(j) "Employee" means a person appointed to the Fire and Emergency Service under this Act;

(k) "Entity Authority" shall include a Local Authority, Development Authority, Municipality, Municipal Corporation, Awas Vikas Parishad or Building Plan Sanctioning Authority;

(l) "Erector" means a person or association of persons, whether corporate or otherwise, who erects or makes a pandal or any structure for occupation of people on a regular or temporary basis;

(m) "Fire Prevention and Life Safety Measures" means such measures inclusive of fire protection system as are necessary in accordance with the National Building Code of India for the containment, control, and extinguishing of fire and for ensuring the safety of life and property in case of fire and as may be prescribed in the Rules made in this behalf;

(n) "Fire Safety Officer" means the person appointed under section 28 of this Act by the owner or occupier of certain premises and buildings as specified in this behalf to ensure fire prevention and fire safety measures installed in such premises and buildings;

(o) "Fire Officer" means an officer appointed by the State for fire stations and other field formations as per section 9 of this Act;

(p) "Fire Station" means a building erected to house the firefighting equipment, appliances and staff declared generally or specially by the State Government to be a Fire Station and other field formations for the purpose of this Act;

(q) "Fund" means fund constituted under section 52 of this Act;

(r) "Local Authority" shall mean a Municipal Board or Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Notified Area Committee, Town Area Committee, Zila Parishad, Cantonment Board, Kshetra Samiti, Gaon Sabha or any other authority constituted for the purpose of Local Self-Government or village administration or legally entitled to or entrusted by the State Government with the control or management of municipal or local fund;

(s) "Local Fire and Emergency Service" means Local Fire and Emergency Service as may be notified by the State Government;

(t) "National Building Code" means the book or books containing Fire Prevention and Life Safety Measures to be implemented in the buildings, places, premises, workshops, warehouses and industries, published from time to time by the Bureau of Indian Standards;

(u) "Occupancy" means the principal occupancy for which a building or a part of the building is used or intended to be used including subsidiary occupancies which

are contingent upon it;

(v) "Occupier" means,—

- (i) any person who, for the time being, is paying or is liable to pay, to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;
- (ii) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;
- (iii) a rent-free tenant of any land or building;
- (iv) a licensee in occupation of any land or building; and
- (v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building.

(w) "Owner" includes a person who, for the time being, is entitled to receive the rent of any land or building, whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person, or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant;

(x) "Pandal" means a temporary structure with a roof or walls made of straw, hay, ulu grass, golpatta, hogla, darma, mat, canvas, cloth or other like material which is not adopted for permanent or continuous occupancy;

(y) "Second Appellate Authority" means an Officer appointed by the State Government, who is at least one rank higher than the Appellate Authority as defined in section 45 of this Act;

(z) "Standing Fire Advisory Council (SFAC)" means the advisory body constituted by the Union Ministry of Home Affairs to examine the technical problems relating to Fire Service and to make recommendation to the Government of India in the matter including the standardization of fire-fighting equipment through the Indian Standard Institutions;

(aa) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(bb) "Qualified agency" means a person or an association of persons having technical specialization in the field of Fire from a recognized University and having sufficient domain knowledge and accomplishments in the field of Fire Service.

## CHAPTER II

### ORGANIZATION, SUPERINTENDENCE, CONTROL, AND MAINTENANCE OF THE FIRE AND EMERGENCY SERVICE

Establishment of one Fire and Emergency Service for whole of State of Uttar Pradesh

3. (1) There shall be one Fire and Emergency Service for the whole of State of Uttar Pradesh and all officers and subordinate ranks of the Fire and Emergency Service shall be liable for posting to any branch of the Fire and Emergency Service:

Provided that the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, declare any Fire Brigade or any other Local Fire and Emergency Service of any local authority of the state, by whatever name called, that the same shall form or shall not form the part of State Fire and Emergency Service at any time:

Provided further that this provision shall not apply to the private Fire and Emergency Services maintained for providing fire protection coverage to a specific building or industry by the owner or occupier thereof.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force relating to the Local Authority, the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, declare the services relating to any fire brigade or fire prevention a part of the State Fire and Emergency Service with effect from such dates as may be specified in the notification.

(3) In order to assist any disaster, other than resulting due to fire, all Fire Services shall be considered as Emergency Services:

Provided that in case where the emergency service is not related only to fire, the decisions and directions of the authority in charge of the Emergency Service shall prevail.

4. The superintendence of, and control over, the Fire and Emergency Service throughout the State shall vest in the State Government and the Fire and Emergency Service shall be administered by the State Government in accordance with the provisions of this Act and / or any rule made thereunder, through such Fire Officers as the State Government may, from time to time, appoint in this behalf.

5. (1) Subject to the provisions of this Act, the State Fire and Emergency Services shall consist of such number of staff in various ranks and have such organizations and have such powers, functions and duties as the State Government may, by general or special order, determine.

(2) The State Government may prescribe by rules,-

(i) the different posts of the State Fire and Emergency Service;  
 (ii) the mode of recruitment of staff, grade of post, the qualification, pay, allowances and other conditions of service of the officers and other staff engaged therein and matters connected therewith.

(3) The State Government may, by notification in the Official *Gazette*, review the pattern of the existing Fire and Emergency Service in the State and if deem fit may modify the same:

Provided that for local Fire and Emergency Services, the rules framed under this sub-section may not include mode of recruitment of staff, pay, allowances and matters connected therewith.

(4) Save as otherwise provided by or under this Act, every person holding office either as a Fire Officer or staff or an employee (by whatever designation called) of an existing Fire Brigade or Fire and Emergency Services of any Authority on the date immediately before the commencement of this Act, shall continue to hold office on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before such date and shall exercise such powers and perform such duties as before and in addition to those as are conferred on them by, or under this Act.

6. (1) The State Government shall appoint an officer of the rank of Director General of Police/Additional Director General of Police as Director General Fire and Emergency Service hereinafter referred as Director General Fire and Emergency Services who shall exercise such powers and perform such duties and other functions as are specified under this Act and whose jurisdiction shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(2) The State Government shall appoint a Fire Officer of domain Qualification knowledge experience and credible accomplishments in the field of fire service to be the Director, Fire and Emergency Services who shall exercise such powers and perform such duties and other functions as are specified by or under this Act.

(3) The State Government shall appoint such other officers and staff, as may be necessary from time to time, to assist the Director General, Fire and Emergency Services and Director, Fire and Emergency Services while exercising the powers or discharging the duties or functions conferred under this Act or rules made thereunder.

(4) Subject to the control, directions and superintendence of the State Government, the Director General and the Director shall exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed upon him by this Act or the rules made thereunder.

7. (1) The Director General, Fire and Emergency Services shall subject to the superintendence and control of the State Government, direct and regulate all matters of fire safety and prevention, firefighting equipment, machinery and appliances, training, observation of persons, events of mutual relations, distribution of duties, study of laws, orders and modes of proceedings and all matters of executive detail or the fulfillment of duties and maintenance of discipline of fire officers and employees of the Fire and Emergency Service under him, as per the relevant State rules.

Superintendence  
of Fire and  
Emergency  
Service to vest in  
State  
Government  
Constitution  
and  
Classification  
of Fire and  
Emergency  
Service

Appointment  
of Director  
General and  
Director of  
Fire and  
Emergency  
Service

Power, Duties  
and Functions  
of the Director  
General Fire  
and  
Emergency  
Services

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (4) of section 6, the Director General, Fire and Emergency Services shall,-

(i) function as the Head of the Department in the office of the Director General, Fire and Emergency Services;

(ii) keep liaison with the State Government for the development of Fire and Emergency Service;

(iii) frame the policies in relation to the development of Fire and Emergency Service in the State and, on approval by the State Government, take steps to implement the same;

(iv) prepare and submit plans and proposals to the State Government with regard to the periodical review of fire equipment, fire property and fire manpower for effective implementation of Fire and Emergency Service by the authorities;

(v) take or cause to be taken such effective steps and measures in cases of major fires, house collapse and other emergency services;

(vi) investigate or cause to be investigated the cause of fire and advise the authorities for implementing fire precautionary measures;

(vii) implement the effective Human Resource Development policies of the State Government in accordance with the prescribed jobs at each level of fire service personnel and for that purpose, he may establish advance training centers;

(viii) represent the State Government on National and International forums with a view to updating the standard of Fire and Emergency Service in the State;

(ix) exercise such other powers and perform such other duties and functions as may be conferred, imposed or allotted to him by or under the provisions of this Act.

**Setting up of Fire Stations**

8. (1) For the purpose of providing adequate number of officers and staff for meeting the needs of fire service, having regard to the population, potential fire hazards in certain industries and large commercial and mercantile establishments and buildings and fire stations required to be provided for and maintained, the State Government may, for the purpose of securing fire prevention and life safety measures within the State, by notification in the *Official Gazette*, constitute as many Fire Stations and other field formations as it deems fit.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the limits of the Fire Stations and other field formations to which it relates and shall define the limits and extent of Fire Stations and other field formations as may be necessary for administrative and operational efficiency.

**Appointment, powers, duties and functions of Fire Officers**

**9. Appointment of Fire Officers:**

(1) For the purposes of this Act, the State Government may appoint,-

(a) A Fire Officer, for each Fire Station not below the rank of Fire Station Second Officer as authorized by the Director, Fire and Emergency Services who shall be officer-in-charge of a Fire Station and shall hold charge of a Fire Station as per the size of the Fire Service as specified by the Director, Fire and Emergency Services.

(b) He shall have such staff under him to the Fire Station as may be determined by the State Government.

(c) He shall be responsible for maintenance of communication system, water resources including hydrants within his station areas, and shall be in charge of operations of Fire and Emergency Services.

(d) Similar arrangements shall be provided for other field formations, if any.

**Powers, duties and functions of Fire Officers :**

(2) The powers, duties and functions of the Fire Officers shall be as follows:-

(a) Subject to the control, direction and superintendence of the Director General, the Fire Officer appointed under sub-section (1) of this section of the Act, shall exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed upon him by this Act or rules or orders made thereunder.

(b) Without prejudice to the provisions of clause (a) in case of fire prevention and disaster, the Fire Officer or officers appointed under sub-section (1) of this section, for their jurisdiction, shall, in case of any fire or emergency, Act as Commanding Officer for that event and other Fire and Emergency Service engaged shall work under him.

10. (1) For the purpose of this Act, the State Government may appoint other Officers and staff for the administrative purposes and other field formation as may be necessary from time to time.	Appointment, powers, duties and functions of other Officers
(2) The qualifications for appointment and other conditions of service of the Officers appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed in the rules.	
(3) For the purpose of this Act, the State Government shall appoint such officers as may be deemed necessary to supervise Fire Stations while exercising such powers or discharging the duties and functions under this Act or rules made thereunder.	
11. (1) Every person shall on appointment to the Fire and Emergency Service, receive a certificate in the prescribed form under the signatures of the Director General or an officer authorized in this behalf by the State Government and thereupon such person shall have the powers, functions and privileges of an employee of the Fire and Emergency Service under this Act.	Issue of Certificate to the employees of Fire and Emergency Service
(2) The certificate referred to in sub-section (1) shall cease to have effect when the person named therein ceases for any reason to be an employee of the Fire and Emergency Service and on his ceasing to be such employee, he shall forthwith surrender the certificate to any officer empowered to receive the same.	
(3) A certificate of appointment shall become <i>null and void</i> when the person named therein ceases to belong to the Fire and Emergency Service or shall remain inoperative during the period such person is suspended from the Fire and Emergency Service.	
(4) The employees of the Fire and Emergency Service shall be governed by such rules as are applicable to State Government servants in relation to the terms and conditions of their service and all other allied matters.	
12. Whenever, it appears to the State Government that it is necessary to augment the Fire and Emergency Service, it may raise an auxiliary service by enrolment of volunteers for such area and on such terms and conditions as it may deem fit as per Rules.	Auxiliary Fire and Emergency Service
13. The powers, functions and privileges vested in a Fire Officer shall remain suspended while such Fire Officer is placed under suspension:	Effect of suspension of Fire Officer
Provided that notwithstanding such suspension, such person shall continue to be subject to the control of same authorities to which he would have been had he not been placed under suspension.	
<b>CHAPTER III</b> <b>FIRE AND EMERGENCY RESPONSE</b>	
14. The Fire Officer appointed by the State Government shall respond to all fire and emergency related calls as per Standard Operating Procedures prescribed by the rules. Calls related to any other emergencies shall also be entertained by the Fire and Emergency Services by order and as per rules.	Response to Calls
15. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer shall ensure deployment of Fire and Emergency Service resources, equipments and fire personnel at stand-by duties during any fire response or any other emergency as specified in the rules.	Personnel and scale of equipment
16. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer shall provide details of planning, organizing and deployment of the staff and ensure regular monitoring of the site as per rules.	Operation Management
17. On the occasion of fire and/or rescue in any area in which this Act is in force, any member of the Fire and Emergency Services, who is in-charge of firefighting operations on the spot, may,-	Powers of Employees of the Fire and Emergency Service on occasion of fire and/or rescue
(a) remove, or order any other member of the Fire and Emergency Service to remove any person who by his presence interferes with or impedes the operation for extinguishing the fire or for saving life or property;	
(b) close any street or passage in or near which a fire is being fought and / or rescue work is in progress;	
(c) for the purpose of extinguishing fire and carrying out rescue operation, break into or through or pull down, any premises for the passage of hose or appliances or cause them to be broken into or through or pulled down, doing as little damage as possible for the purpose of extinguishing fire:	

Provided that the owner or occupier, as the case may be, of any such premises shall be paid reasonable compensation to the extent of the damage so caused in such manner as may be prescribed in the rules.

(d) require the Authority in charge of water supply in the area to regulate the water mains so as to provide water at a specified pressure at the place where fire has broken out and utilize the water of any stream, cistern, well or tank or of any available source of water, public or private, for the purpose of extinguishing or limiting the spread of such fire and carrying out rescue operations;

(e) exercise the same powers for dispersing an assembly of persons likely to obstruct the firefighting operations as if he were an officer-in-charge of a police station and as if such an assembly were an unlawful assembly and shall be entitled to the same immunities and protection as such an officer, in respect of the exercise of such powers;

(f) arrest a person who wilfully obstructs and hinders a Fire and Emergency Service personnel in firefighting and rescue operations and shall hand him over to a police officer or at the nearest police station without avoidable delay along with a brief note giving the time, date and reason of arrest;

(g) enter into agreement with any person who employs and maintains personnel or equipment or both for fire-fighting purposes, to secure, on such terms as may be prescribed, for the purpose of dealing with fires occurring in any area;

(h) take such measures as may appear to him to be necessary for extinguishing the fire or for the protection of life or property, or both.

#### CHAPTER IV WATER SUPPLY

18. It shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer of the fire-fighting operations to draw water from any source in the area which he considers necessary during fire-fighting operations and on such occasions as may be required and the Authority or owner or occupier having control over such water source shall supply water for that purpose at such rates as may be prescribed.

19. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer shall take all reasonable measures for securing that an adequate supply of water will be available for the use in the event of fire as per the Rules.

20. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer may enter into an agreement with an agency for meeting demand of water supply and emergent need of water as per the procedures and terms and conditions for the payment to the third party, prescribed under the rules.

21. No Authority in charge of water supply in any area shall be liable to any claim for compensation for damage by reason of any interruption of supply of water caused in compliance with clause (d) of section 17.

22. No charge shall be made by any Local Authority for water consumed in fire fighting operations by the Fire and Emergency Service.

#### CHAPTER V GENERAL MEASURES FOR FIRE AND EMERGENCY PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES

23. (1) The State Government may, by notification, require owner or occupier of premises in any area or of any class of premises used, which in its opinion, are likely to cause risk of fire, to take such precautions as may be specified in such notification.

(2) Where such notification has been issued, it shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer to direct the removal of objects or goods likely to cause the risk of fire, to a place of safety and on failure by the owner or occupier to do so, the Director or Fire Officer may, after giving the owner or occupier a reasonable opportunity of making the representation, seize, detain or remove such objects or goods.

(3) The Director, Fire and Emergency Services shall ensure that Fire and Emergency Management Plans of the Fire Stations and other field formations should be prepared in conformity with the respective District Disaster Management Plans.

Power to  
arrange for  
water supply  
during  
emergency

Duty to arrange  
water supply

Power to enter  
into Agreement  
for Water  
Supply

No  
compensation  
for interruption  
of water supply  
Compensation  
of water

Preventive  
Measures

24. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the erectors of pandals shall be deemed to be self-regulators for taking fire prevention and life safety measures prescribed under section 23.

(2) The erector of a pandal shall display at a prominent place in the pandal, a declaration in the prescribed form and under his/her own signature to the effect that he / she has taken all the prescribed fire prevention and fire safety measures therein as notified by the State Government.

(3) It shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services to enter and inspect the pandal with a view to verify the correctness of the declaration so made by the erector under sub-section (2) and to point out the shortcomings, if any, with directions to remove them within a specified time. If the directions of the inspecting officer are not complied with within the time so given, the inspecting officer shall seal the pandal.

(4) Any erector of a pandal who falsely declares that he has complied with the prescribed fire prevention and fire safety measures in the pandal shall be deemed to have committed an offence punishable under section 39 of this Act.

25. (1) Where a notification has been issued under section 23 and section 24, it shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services to direct the removal of encroachments or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to firefighting, to a place of safety, and on failure of the owner, occupier or erector, as the case may be, to do so, the Director or Fire Officer may, after giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation, report the matter to the Sub-Divisional Magistrate, in whose territorial jurisdiction the premises or building or pandal is situated, requesting to adjudicate the matter:

Provided that where the Director, Fire and Emergency Services considers such encroachments or objects or goods to be an imminent cause of risk of fire or obstruction to firefighting, he may direct the owner or the occupier or erector of such premises or building to remove the encroachment or objects or goods forthwith and report the matter to the Sub-Divisional Magistrate accordingly.

(2) On receipt of a report under sub-section (1), the Sub-Divisional Magistrate shall give, by means of a notice served in such manner as he may think fit, a reasonable opportunity of showing cause against the removal of encroachment or objects or goods likely to cause a risk of fire or obstruction to firefighting.

(3) After giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation under sub-section (2), the Sub-Divisional Magistrate may make an order to seize, detain or remove such encroachments or objects or goods as per prescribed rules.

(4) The person charged with the execution of the order as made in sub-section (3) shall forthwith make an inventory of the objects and goods which he seizes under such order, and shall, at the same time, give a written notice as may be prescribed in this behalf, to the person in possession thereof at the time of seizure, that the said objects or goods will be sold as therein mentioned if the same are not claimed within the period stipulated in the said notice.

(5) On the failure of the person in whose possessions the objects or goods were at the time of seizure to claim the seized goods pursuant to notice given under sub-section (4), the Sub-Divisional Magistrate shall sell them accordingly by public auction.

26. (1) Without prejudice to the provisions of National Building Code of India, Building Bye-laws of respective entity authorities, any other law or Bye-Law, the owner or the occupier, who are either individually or jointly responsible, of a building as classified by regulations or part thereof, shall provide fire prevention and life safety measures therein:

Provided that the owner or the occupier, as the case may be, shall,-

(i) provide minimum fire-fighting and life safety installations as provided in the Bye-Laws;

(ii) maintain the fire prevention and life safety measures in operational condition at all times, in the manner and specifications specified in Bye-Laws.

(2) Notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force, no authority empowered to issue the occupancy certificate, shall issue the same, unless it is satisfied that the owner or the occupier, either individually or jointly, has complied with the provision as given in sub-section (1) of this section.

(3) Without prejudice to the existing Building Bye-laws applicable and enforcement of bye-laws by the State, following buildings shall obtain 'Fire Safety

Fire  
Prevention  
and Life  
Safety  
measures in  
the pandals to  
be self-  
regulatory

Removal of  
encroachments  
or objects or  
goods likely to  
cause a risk of  
fire or any  
obstruction to  
fire fighting

Owner or  
Occupiers  
liability to  
provide Fire  
Prevention  
and Life  
Safety  
Measures

Certificate' from Fire and Emergency Services;

(i) Multi-storied buildings having more than 15 meters height;  
 (ii) Special buildings like educational, institutional, assembly, business, mercantile, industrial, storage and hazardous buildings as defined in National Building Code as amended from time to time;

(iii) Mixed occupancies with any of the aforesaid occupancies having more than 500 square meter covered area.

(4) Owners of Buildings, under sub-section (3), shall ensure that such multi-storied or special buildings be equipped with fire prevention, fire and life safety and fire protection system to prevent or extinguish fire as per the prescribed rules.

(5) The owner or occupier, as the case may be, shall furnish to the Fire Officer, a certificate in the prescribed form issued by a qualified agency regarding the compliance of the fire prevention, fire and life safety measures and fire protection measures in his building or part thereof, as required by or under the provisions of this Act, and shall also furnish to the Fire Officer a certificate in the prescribed form twice a year in the months of January and July regarding the maintenance of fire protection system in good repair and efficient condition as specified in sub-section (1) of this section.

(6) No person other than the qualified agencies, as specified in the National Building Code of India or rules made under this Act, shall carry out the work of providing fire prevention and life safety measures or performing such other related activities required to be carried out in any place or building or part thereof.

27. (1) The Fire Officer shall scrutinize the compliances with regard to the requirement of section 26 made by owners or occupiers or applicant, as the case may be, either independently or jointly, after making necessary inquiry, if any, issue fire safety certificate within a month of the application subject to the condition that all necessary documents, designs, maps, completion certificates etc. shall be submitted by the owner or occupier or applicant.

(2) If the owner or occupier, as the case may be, fails to comply with the directions issued by the Fire Officer, the fire safety certificate, issued under section 26 of this Act, shall be cancelled after giving owner or occupier an opportunity of hearing to show-cause.

(3) The owner or occupier of the building or premises, whose fire safety certificate has been cancelled due to default on his part, shall not be entitled to occupy the building or premises on the ground of non-compliance of fire prevention and life safety measures under section 26 of this Act.

(4) No person shall tamper with, alter, remove or cause any injury or damage to any fire prevention and life safety equipment installed in any such building or part thereof or instigate any other person to do so.

28. (1) To ensure effective fire prevention and life safety measures of the factory or buildings or premises as may be specified by an order by the State Government in this behalf, every owner and occupier or occupiers individually or jointly, as the case may be,-

(i) shall appoint a fire safety officer, having such qualifications as may be prescribed;

(ii) send the compliance report to the Fire Officer.

(2) The Fire Safety Officer so appointed under sub-section (1) shall be issued the enrolment certificate by the Fire Officer under his signature and seal of the office in the prescribed form.

(3) In case of a vacancy of the Fire Safety Officer appointed under sub-section (1), either on resignation or otherwise, the owner and occupier or occupiers individually or jointly, as the case may be, shall be required to immediately appoint the fire Safety Officer.

(4) In case of the non-appointment of the Fire Safety Officer, as envisaged under sub-section (1), the Fire Officer may take such steps as he deems necessary, which includes report to the Labour Commissioner for the closure of the factory and in other cases to the relevant authority for necessary action under relevant law.

(5) The Fire Safety Officers shall undergo training at the Fire and Emergency Service Training Institute as may be specified by the State Government in this behalf:

Provided that a person who has already undergone such training at the National Fire Service College, Nagpur or at any other equivalent institution recognized by the State Government, shall not be required to undergo such a training.

**Issue of Fire Safety Certificate**

**Appointment and Functions of Fire Safety Officer**

29. (1) The Fire Officer may, after giving three hours' notice to the occupier, or if there is no occupier, to the owner of any place or building or part thereof, enter and inspect such place or building or part thereof at any time between sunrise and sunset where such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and life safety measures:

Power of  
Inspection

Provided that the Fire Officer may enter into and inspect any such place or building or part thereof at any time if an industry is working or an entertainment is going on at such place, building or part thereof, or if it appears to him to be expedient and necessary to do so in order to ensure safety to life and property.

(2) The Fire Officer shall be provided with all possible assistance by the owner or occupier, as the case may be, of such place or building or part thereof for carrying out the inspection under sub-section (1).

(3) The owner or occupier or any other person shall not obstruct or cause any obstruction to the entry of a person empowered or authorized under this section into or upon any land or building or shall not molest such person after such entry for inspection.

(4) When any such place or building or part thereof used as a human dwelling is entered under sub-section (3), due regard shall be paid to the social and religious sentiments of the occupiers, and before any flat, apartment or a part of such building in the actual occupancy of any woman, who, according to the custom does not appear in public, is entered under sub-section (3), notice shall be given to her that she is at liberty to withdraw, and every reasonable facility shall be afforded to her for withdrawing.

(5) Where the inspection is carried out by the Fire Officer under the preceding provisions of this section, he shall give a report of any such inspection to his reporting officer and the Entity Authority concerned.

(6) The Fire Officer shall, after completion of the inspection of the place or building or part thereof under this Section, record his views on the deviations from or the contraventions of, the requirements with regard to the fire prevention and life safety measures or the inadequacy or non-compliance of such measures provided or to be provided therein with reference to the height of the building or the nature of activities carried on in such place or building or part thereof and issue a notice to the owner or occupier of such building or part thereof directing him to undertake such measures within such time as may be specified in the notice.

30. Any person who possesses any information regarding an outbreak of fire shall communicate the same without delay to the nearest fire station.

Information on  
outbreak of  
fire

## CHAPTER VI

### OFFENCES AND PENALTIES

31. Whoever contravenes any provisions of Chapter IV shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act and rules made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to three thousand rupee for every day after the first during which such offence continues.

Penalties for  
violation of  
provisions of  
Chapter IV  
(Water  
Supply)

32. Notwithstanding any action which may be taken under the provisions of this Act, any member of the Fire and Emergency Service who,-

Penalty for  
violation of  
duty

- (i) is found to be guilty of any violation of duty or wilful breach of any provision of this Act or any rule or order made thereunder; or
- (ii) is found to be guilty of cowardice; or
- (iii) withdraws or abstains from the duties of his office without permission or without having given previous notice for fifteen days or more; or

	<p>(iv) being absent on leave fails without reasonable cause to report himself for duty on expiration of such leave; or</p>
	<p>(v) accepts any other employment or office or engages himself in business in contravention of the provision of the Uttar Pradesh Government Servant Conduct Rules, 1956, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to an amount not exceeding three months pay of such member, or with both.</p>
<p><b>Penalty in case of non-appointment of Fire Safety Officers</b></p>	<p>33. (1) If any owner or occupier or an association of such owners and occupiers of a building or premises fails to appoint under section 28, Fire Safety Officers within thirty days, of the receipt of a notice given in this behalf by the Director, Fire and Emergency Services or the Fire Officer, as the case may be, each one of them shall be deemed to be in default jointly and severally.</p>
	<p>(2) When the person liable for appointment of such Fire Safety Officers is deemed to be in default, such sum not less than ten rupees per square meter and not exceeding fifty rupees per square meter of total built-up area owned/occupied by him including in the common areas in the premises as determined by the Director, Fire and Emergency Services may be recovered from him by way of penalty for each month of default or part thereof.</p>
	<p>(3) The amount due as penalty under sub-section (2) shall be recovered as arrears of land revenue.</p>
<p><b>Liability of property owner to pay compensation</b></p>	<p>34. (1) Any person whose property catches fire on account of an action of his own or of his agent done deliberately or negligently shall be liable to pay compensation to any other person suffering damage to his property on account of any action taken under section 17 of this Act by an officer mentioned therein or any person acting under the authority of such officer.</p>
	<p>(2) All claims under sub-section (1) shall be referred to the Appellate Authority, within thirty days from the date when the damage was caused.</p>
	<p>(3) The Appellate Authority, shall, after giving the party an opportunity of being heard, determine the amount of compensation due and pass an order stating such amount and the person liable for the same, and the order so passed shall have the force of a decree of a Civil Court within thirty days as mentioned in section.</p>
<p><b>Failure to give information</b></p>	<p>35. Any person, who without adequate justification, fails to communicate information in his possession regarding an outbreak of fire shall be deemed to have committed an offence punishable under the first part of section 176 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).</p>
<p><b>Failure to take precautions</b></p>	<p>36. Whoever fails without reasonable cause to comply with any of the requirements specified in a notification issued under sub-section (1) of section 23 or of a direction issued under the section shall be punishable with fine which may extend to Ten thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to One thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.</p>
<p><b>Penalty for wilfully obstructing the fire-fighting, rescue operations</b></p>	<p>37. Any person who wilfully obstructs or interferes with any member of the Fire and Emergency Services, who is engaged in fire-fighting operations, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to Ten thousand rupees, or with both.</p>
<p><b>False report</b></p>	<p>38. Any person who knowingly gives or causes to be given a false report of the outbreak of a fire to any person authorized to receive such report by means of a statement, message or otherwise shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to Ten thousand rupees, or with both.</p>

39. Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule or notification made thereunder shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act and the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to Ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to One thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.

General provisions for punishment for offence

40. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by companies

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part, of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation:—* For the purposes of this section,—

(i) 'Company' means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(ii) 'Director', in relation to a firm, means a Partner in the firm.

41. (1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under sections 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 or any rule made under this Act, may either before or after the institution of prosecution, be compounded by such officers of the Fire and Emergency Service and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Compounding of offences

Provided that no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the State Government or of any of the officers authorized under this Act and until the same has been complied with so far as the compliance is possible.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.

42. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith

43. No Court shall proceed to the trial of an offence under this Act, except on the complaint of, or upon information received from, the Director, Fire and Emergency Services or the officer authorized by him in this behalf.

Cognizance of prosecution

44. Court of Judicial Magistrate shall try an offence punishable under this Act.

Jurisdiction

## CHAPTER VII

### APPEALS

## Appeals

45. (1) Any person aggrieved by any notice or order of the Sub-Divisional Magistrate or Fire Officer or the Director, Fire and Emergency Services or Director General, Fire and Emergency Services issued or made under this Act may prefer an appeal against such notice or order to the Appellate Authority within thirty days from the date of the notice or order appealed against:

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An appeal to the Appellate Authority shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the notice or order appealed against and by such fees as may be specified in the rules framed under this Act.

(3) An order of the Appellate Authority on an appeal may be referred to the Second Appellate Authority and the decision of the Second Appellate Authority will be deemed final.

## CHAPTER VIII

### TRAINING

Establishment of  
Fire and  
Emergency  
Training  
Institute

46. (1) The State Government may establish and maintain one or more training centers in the State for providing courses of instruction in the prevention and extinguishment of fire and may close down or re-establish any such center.

(2) The State Government may extend the training facilities at the academy to be established under sub-section (1) to the Fire and Emergency Service under the control of local bodies and industrial undertakings as well as to the State Fire and Emergency Service of other States on payment of charges as may be prescribed.

(3) The State Government may prescribe such fee and such procedure as it may deem fit for providing a course of instruction in the prevention and extinguishment of fire.

(4) Subject to the observance of general rules applicable to other employees of the Government in relation to training, the employees of the Fire and Emergency Service may be given training in the field of scientific and modern techniques of fire protection and fire safety measures, and allied matters in any institute, within or out of India at the cost and expense of the State Government for the administration of the provisions of this Act.

Community  
Preparedness

47. (1) The Fire Officer as authorized by the Director General, Fire and Emergency Services shall conduct community awareness and training programmes on preventive measures on fire and other emergencies.

(2) The Fire and Emergency Services shall render assistance and consultation to the communities in matters related to fire prevention as per rules.

## CHAPTER IX

### LEVY OF FIRE TAX, FEE AND OTHER CHARGES

Levy of fire tax

48. (1) There may be levied a fire tax on Lands and Buildings which are situated in any area in which this Act is in force and on which property tax by whatever name called is levied by any local authority in that area.

(2) The fire tax shall be levied in the form of a surcharge on the property tax at such rate in terms of percentage of such property tax as the State Government may, by notification in the Official Gazette, determine from time to time.

(3) No fee shall be levied on any building vested in or under the control or possession of the Government or public Authority owned by the Government.

49. (1) The authorities empowered to assess, collect and enforce payment of property tax under the law authorizing the local authority of the area to levy such tax shall, on behalf of the State Government and subject to any rules made under this Act, assess, collect and enforce payment of the fire tax in the same manner as the property tax is assessed, paid and collected; and for this purpose, they may exercise all or any of the powers they have under the law aforesaid and the provisions of such law including provisions relating to returns, appeals, reviews, references and penalties shall apply accordingly.	Mode of assessment, collection, etc. of fire tax
(2) Such portion of the total proceeds of the fire tax as the State Government may determine shall be deducted to meet the cost of collection of the fire tax.	
(3) The proceeds of the fire tax collected under this Act reduced by the cost of collection shall be paid to the State Government in such manner and at such intervals as may be prescribed.	
50. (1) Where employees of the Fire and Emergency Service are sent beyond the limits of any area in which this Act is in force, in order to extinguish a fire in the neighborhood of such limits on the request of any State Government or local body or Fire and Emergency Service authority shall be liable to pay such fee as may be prescribed by the State Government from time to time in this behalf.	Fee on deployment of Fire and Emergency Service beyond the limits of the State
(2) The fee referred to in sub-section (1) shall be payable within one month of the service of a notice of demand by the Director General, Fire and Emergency Services to the concerned State Government or local body or Fire and Emergency Service authority, as the case may be, and if it is not paid within that period, it shall be recoverable as an arrear of land revenue.	
51. Any amount payable under this Act shall be recovered as arrears of land revenue.	Recovery of Dues

## CHAPTER X

### FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY FUND

52. (1) There shall be constituted a fund to be known as "Fire Prevention and Life Safety Fund".	Constitution of Fund
(2) The proceeds of fire fees, tax and penalties (other than fines) recovered under this Act, shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and after deduction of the expenses of collection and recovery therefrom, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in, and transferred to, Fund constituted under sub-section (1).	
(3) Any amount transferred to the fund under sub-section (2) shall be charged on the Consolidated Fund of the State.	
(4) The amount of the fund shall be expended in such manner and under such conditions as may be prescribed, for the purposes of this Act.	
(5) The fund shall be reflected into the budget estimate of the respective authority and the accounts in respect thereof shall be maintained and audited in accordance with the procedure prescribed for this purpose of maintenance of accounts on the relevant law or the rules and orders made thereunder as are applicable to the respective authority.	
(6) The fund shall be utilized for community preparedness, infrastructure, training and procurement of fire-fighting equipment as prescribed in the rules.	

## CHAPTER XI

### MISCELLANEOUS

Reciprocal fire-fighting arrangements with other Fire and Emergency Service

53. The Director General, Fire and Emergency Services or any Fire Officer authorized by the State Government may, with the previous sanction of the State Government, enter into an agreement with any Fire and Emergency Service or the Authority which maintains the said Fire and Emergency Service, beyond the limits of any area in which this Act is in force for providing personnel or equipment or both, for fire-fighting purposes, on such terms as may be provided by or under the agreement on reciprocal basis in public interest.

Declaration of Fire and Emergency Service as Technical Service Deployment to other area

54. Without prejudice to the provisions of any other State law on the subject for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare the Fire and Emergency Service as Technical Service.

Employment on other duties

55. The Director General, Fire and Emergency Services or any Fire Officer authorized by the State Government in this behalf may, on the occasion of a fire or other emergency in any neighboring area in which this Act is not in force, order the dispatch of the employees of the Fire and Emergency Service with necessary appliances and equipment to carry out fire-fighting operations in such neighboring area and thereupon all the provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply to such areas, during the period of fire emergency or during such period as the Director General, Fire and Emergency Services or such Fire Officer as authorized by the State Government may specify on such charges as may be prescribed from time to time.

Power to obtain information

56. It shall be lawful for the State Government or any officer authorized by it in this behalf, to employ the Fire and Emergency Service in any rescue, salvage or other works for which it is suitable by reason of its training, appliances and equipment.

Power to seal buildings or premises

57. The Director General, Fire and Emergency Services or the Fire Officers employed in the Fire and Emergency Service, authorized by general or special order in this behalf may, for the purpose of discharging his duties under this Act, require the owner or occupier of any building or other property as may be specified to supply information with respect to the character of such building or other property as may be specified, the available water supplies and means of access thereto any other material particulars, and such owner or occupier shall furnish all the information in his possession.

58. (1) Where, on receipt of a report from the Fire Officer under section 29, or *suo-moto*, it appears to the Director General, Fire and Emergency Services that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall, without prejudice to any action taken under this Act, by order, require the person in possession or occupation of such building or premises to remove themselves from such building or premises forthwith.

(2) If an order made by the Director General, Fire and Emergency Services under sub-section (1) is not complied with, the Director General, Fire Services may direct any police officer having jurisdiction in the area to remove such persons from the building or premises and such officer shall comply with such directions.

(3) After the removal of the persons under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, the Director General, Fire and Emergency Services shall seal the building or premises.

(4) No person shall remove such seal except under an order made by the Director General, Fire and Emergency Services.

(5) Any person, who removes such seal except under an order made by the Director General, Fire and Emergency Services, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

59. In fire-fighting operations or any other duties related to seizure, detention or removal of any goods involving risk of fire, it shall be the duty of a police officer or employees of the police force and other related department to assist and aid the Director or such Fire Officer in performance of such duties under this Act.	Police officers and others to aid
60. Without prejudice to the provisions contained in any other State law for the time being in force, –	Fire and Emergency Service functioning in the State immediately before the commencement of this Act to be deemed to be Fire and Emergency Service constituted under this Act
(i) the Fire and Emergency Service functioning in State before the commencement of this Act (hereinafter in this section referred to as 'the existing State Fire and Emergency Service') shall, on such commencement, be deemed to be the Fire and Emergency Service constituted under this Act and every member of the existing State Fire and Emergency Service holding the office, shall be deemed to be appointed and to hold the office, under this Act;	Fire and Emergency Service functioning in the State immediately before the commencement of this Act to be deemed to be Fire and Emergency Service constituted under this Act
(ii) all proceedings pending before any Fire Officer of the existing State Fire and Emergency Services, immediately before the commencement of this Act be deemed to be proceedings pending before him in his capacity as the holder of the office to which he is deemed to be appointed under sub-section (1) and shall be dealt with accordingly.	Fire and Emergency Service constituted under this Act
61. In the event of the death of a member of the Fire and Emergency Services (other than a Gazetted Officer), while on duty, the State Government shall pay adequate amount to the next of kin as funeral expenses or such amount as the State Government may by an order determine.	Death of member of Fire and Emergency Service
62. Every employee of Fire and Emergency Service, acting under the provisions of this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).	Officers to be public servants
63. The State Government may call for such returns, reports and statements on any subject connected with fire prevention and fire safety, the maintenance of order and the performance of duties by the Director General, Fire and Emergency Services, Director, Fire and Emergency Services, Fire Officers, operational employees, employees and subordinate operational staff, and the same shall be furnished immediately.	Calling of returns, reports, statements, etc.
64. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.	Power to make rules
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for, –	
(a) recruitment, pay and allowances and all other conditions of service of the employees of the State Fire and Emergency Services;	
(b) constitution of fire stations and other field formations;	
(c) form of certificate of appointment and Fire Officer under whose seal such certificate of appointment shall be issued;	
(d) mode of assessment, collection and enforcement of payment of fire tax;	
(e) manner in which fire tax collected shall be paid to the State Government;	
(f) fee on deployment of Fire and Emergency Services beyond the limits of State terms for reciprocal fire-fighting arrangements with other Fire and Emergency Services;	
(g) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures, form of declaration, appeal, notice and fees under this Act;	

- (h) charges for extending training facilities at Fire and Emergency Services Academy to others;
- (i) officers of the Fire and Emergency Service and the amount for compounding of offences;
- (j) making available to the Fire and Emergency Services with such appliances and equipment as it deems proper;
- (k) the adequate supply of water to secure that it shall be available for use;
- (l) constructing or providing fire stations or hiring places for accommodating the employees of the Fire and Emergency Services and its fire-fighting appliances;
- (m) giving rewards to persons who have given notice of fires and to those who have rendered effective service to the Fire and Emergency Services on the occasion of fires;
- (n) the training, discipline and good conduct of the employees of the Fire and Emergency Services;
- (o) speedy attendance of employees of the Fire and Emergency Services with necessary appliances and equipment on the occasion of any alarm of fire;
- (p) regulating and controlling the powers, duties and functions of the Director General, Fire and Emergency Services and the Director, Fire and Emergency Services;
- (q) generally, for the maintenance of the Fire and Emergency Services in a due state of efficiency;
- (r) regulating installation of pandals and temporary structures;
- (s) writing of confidential reports of Fire Officers;
- (t) determining the description and quantity of fire-fighting and rescue equipment including appliances, clothing and other necessaries to be furnished to the Fire and Emergency Services;
- (u) institution, management and regulation of any Fire and Emergency Service Fund for any purpose connected with policy administration;
- (v) assigning duties to Fire Officers of all ranks and grades, and prescribing the manner in which and the conditions subject to which they shall exercise and perform their respective powers and duties;
- (w) generally, for the purposes of rendering the Fire and Emergency Services efficiently and preventing abuse or neglect of their duties;
- (x) minimum qualification, domain knowledge and experience of qualified agency; and
- (y) any other matter which is required to be, or may be, provided by the rules.

**Delegation of powers**

65. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette direct that any power exercisable by it under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification be exercisable by any of the officers of the State Government.

(2) The Director General, Fire and Emergency Services or Director, Fire and Emergency Services may, by order, direct that any power conferred or any duty imposed on him by or under this Act shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised and performed also by any officer of the Fire and Emergency Services specified in the order.

**Repeal and Savings**

66. (1) The U.P. Fire Services Act, 1944, the Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act, 2005, the Uttar Pradesh Fire Services (Gazetted Officers) Service Rules, 2016; Uttar Pradesh Fire Services Subordinate Officers / Employees Service Rules, 2016 and the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Ordinance, 2022 are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not be deemed to limit, modify or derogate from the general responsibility of any local authority,—

(i) to provide and maintain such water supply and fire hydrants for fire-fighting purposes as may be directed by the State Government from time to time;

(ii) to frame bye-laws for the regulation of dangerous trades;

(iii) to order any of its employees to render aid in fighting a fire when reasonably called upon to do so by any member of the fire service; and

(iv) generally to take such measures as will lessen the likelihood of fires or preventing the spread of fires.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts, Ordinance and rules referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

67. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before both the Houses of the State Legislature.

68.(1) The provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, in so far as the provisions relating to fire prevention and life safety are concerned.

(2) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, when anything in relation to the fire prevention and life safety measures is required to be done or approved under this Act, any such thing shall not be deemed to have been unlawfully done or approved by reason only of the fact that permission, approval or sanction required under such other law therefore has not been obtained.

(3) The provisions of this Act and the rules made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any other law.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3), the provisions of this Act shall be in addition to, and not, save as expressly provided hereinabove, be in derogation of the provisions of any relevant law for the time being in force in any area in which this Act is in force.

69. Where the Director General, Fire and Emergency Services or Fire Officer, who is in-charge of a fire-fighting or any emergency operation requires fire-fighting equipment and appliance or property of any other Authority or any institution or individual, he may by order requisition such equipment or property for the purpose of extinguishing fire or any other emergencies in any area and take possession thereof from the Authority or any institution or individual, as the case may be.

Power to remove difficulties

Act to have overriding effect on other laws

Requisition of Fire-fighting property

Special promotion to the subordinate operational staff

70. (1) To encourage outstanding sportsmen, marks men, officers who have shown exceptional gallantry and devotion to duty in saving the life and property, the Director General, Fire and Emergency Services may, with the prior approval of the State Government, promote such officers out of turn to the next higher rank subject to availability of vacancies.

(2) Such promotions shall not exceed ten per cent of the sanctioned strength in such ranks.

(3) For purposes of seniority, such promotees shall be placed at the bottom of the promotion list drawn up for that year.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for legally and structurally equipped 'Fire and Emergency Services' in the State of Uttar Pradesh which is trained and equipped for fire prevention, life safety, rescue work and other emergencies such as flood, earthquake, building collapse, nuclear and biological hazards, etc.

In order to fulfil the aforesaid objectives, the Model Fire Service Bill, 1958 and the amended Model Fire and Emergency Bill, 2019 were circulated by the Government of India for adoption by the State Governments in order to bring uniformity in Fire Service Acts all over India.

Due to increasing industrial development, urbanization, disasters and possible fire accidents in the future, the U.P. Fire Service Act, 1944 (U.P. Act no. 3 of 1944) and the Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act, 2005 (U.P. Act no. 5 of 2005) were not able to meet the upcoming and future requirements. Also, due to Fire Safety Certificate not being an integral part of the aforesaid Acts, it was not possible to compulsorily implement fire safety system in buildings and premises.

In view of the above, it was decided to adopt the Model Fire and Emergency Bill, 2019 circulated by the Government of India by the State of Uttar Pradesh.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Ordinance, 2022 was promulgated by the Governor on 28<sup>th</sup> November, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-१०९८ राजपत्र-२०२२-(१७३७)-५९९ प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-१०९८ सा० विधायी-२०२२-(१७३८)-३०० प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।